

**उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था
अधिनियम, 1975**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975)

**THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND
SEWERAGE ACT, 1975**

(U.P. Act No. 43 of 1975)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975¹

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 43 सन् 1975)

उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1978

उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 1978

उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 1984

उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1998

उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1999

उ० प्र० अधिनियम संख्या 02, 2002

उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 2007

उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 2007

उ० प्र० अधिनियम संख्या 46, 2018

उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 2019

उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 2021

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 सितम्बर, 1975 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 सितम्बर, 1975 ई० को प्रकाशित हुआ।]

जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के विकास तथा विनियमन के लिए एक निगम, प्राधिकारियों तथा संगठनों की स्थापना और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, कैंन्टूनमेन्ट क्षेत्रों को छोड़कर होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करें और भिन्न-भिन्न उपबन्धों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

2—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

परिभाषायें

(1) “नल कूप” के अन्तर्गत कोई ऐसी तलछट टंकी या अन्य टंकी भी है जो किसी भू-गृहादि से निकलने वाले दूषित पदार्थ को ग्रहण करने या उसके निस्तारण के लिए हो;

(2) “संचारण पाइप” का तात्पर्य किसी पाइप या समस्त फिटिंग सहित ऐसे पाइप-तंत्र से है जिसके द्वारा प्रनाड (मन) से किसी भू-गृहादि को जल सम्भरित किया जाता हो और इसके अन्तर्गत संयोजक पाइप, सेवा पाइप, मीटर या अन्य फिटिंग भी है;

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये इस अधिनियम के अंत में देखें।

(3) "संयोजक पाइप" का तात्पर्य जोड़ चूड़ी (फेरूल) ले रोक-टोटी तक, ऐसे जल के पाइप से है जो यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम के प्रनाक से सेवा पाइप को जोड़ता हो,

(4) "उपभोक्ता" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम से किसी प्रकार के जल सम्भरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का फायदा मिलता हो;

(5) "घरेलू सीवेज" का तात्पर्य निवास स्थानों, वॉर्डिंग तथा लार्जिंग हाउसों छात्र-वासों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों तथा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों से जो किसी व्यापार या उद्योग के भाग न हों, निकलने वाले और वैयक्तिक तथा सामान्य मानव कार्य-कलापों से जैसे कि पानी पीने, नहाने, प्रक्षालन, धोने तथा खाना पकाने से उत्पन्न उच्छिष्ट जल से है;

(6) "नाली" के अन्तर्गत मल नाला, सुरंग, पाइप, खाई (डिच) नल नाली (गटर) या जल कुल्या (चैनल) अथवा जल कुण्ड (सिस्टर्न), पलस टंकी, मल टंकी (सेप्टिक टैंक) अथवा कोई अन्य युक्त जो सीवेज दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित जल, कूड़ा-करकट, उच्छिष्ट जल या अवभूमि जल को बहा ले जाने अथवा शोधन के लिये हो, तथा इसके अन्तर्गत कोई पुलिया, संवासन नाल या पाइप अथवा अन्य उपकरण या फिटिंग, जो ऐसी गली से जुड़ी हो, और कोई निस्कसक (इजेस्टर), संदायित्त वायु प्रनाड, मुहरबन्द सीवेज प्रनार और कोई विशेष मशीनरी अथवा साधित्र भी है, जो किसी स्थान से सीवेज या दुर्गन्धित पदार्थ को उठाने, एकत्र करने, निकालने या हटाने के लिये हो;

(7) "जोड़ चूड़ी" का साथ ऐसी जोड़ चूड़ी से है जो संयोजक पाइप को प्रवाह से जोड़ती हो;

(8) "महा प्रबन्धक" का तात्पर्य धारा 20 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त जल संस्थान के महाप्रबन्धक से है;

(9) "जल संस्थान" का तात्पर्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी से है जिसे एक या अधिक स्थानीय क्षेत्रों में इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के लिए धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाय;

1[(10) नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, पंचायतीराज विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन इन नामों के विभागों से है।] ;

(11) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो किसी स्थानीय निकाय की - अधिकारिता के अन्तर्गत हो;

(12) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद्, क्षेत्र समिति या गांव सभा से है;

(13) "प्रनाड" का तात्पर्य, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिये सम्भरण से भिन्न जल के सामान्य सम्भरण के लिए बिछाये गये पाइप से है और इसके अन्तर्गत ऐसे पाइप के सम्बन्ध में प्रयुक्त कोई साधित्र भी है;

(14) "प्रबन्ध निदेशक" का तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (फ) के अधीन नियुक्त निगम के प्रबन्ध निदेशक से है;

2[(15) 'निगम' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) से है।]

(16) किसी भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "अध्यासी" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:-

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में स्वामी को ससमय किराया या उसका कोई भाग देता हो अथवा उसका देनदार हो;

(ख) कोई स्वामी जिसका ऐसे भू-गृहादि पर अध्यासन हो;

(ग) ऐसे भू-गृहादि का किरायेदार जो किराया देने से मुक्त हो;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 2021 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 2021 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) कोई लाइसेंसधारी जिसका ऐसे भू-गृहादि पर अध्यासन हो; और

(ङ) कोई व्यक्ति जो ऐसे भू-गृहादि का प्रयोग और अध्यासन करने के सम्बन्ध में स्वामी को क्षतिपूर्ति का देनदार हो;

(17) किसी भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "स्वामी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उक्त भू-गृहादि का किराया लेता हो अथवा जो उसका किराया लेने का हकदार हो यदि भू-गृहादि किराये पर दिया जाय और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:-

(क) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो स्वामी के मद्दे ऐसा किराया लेता हो;

(ख) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो धार्मिक या पूर्ण प्रयोजनों के लिये अर्पित किसी भू-गृहादि का किराया लेता हो या जिसे उसका प्रबन्ध सौंपा गया हो;

(ग) किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उक्त भू-गृहादि का प्रभार लेने के लिये या ऐसे भू-गृहादि के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त रिसीवर या प्रबन्धक; और

(घ) भोग-बन्धकी

(18) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि या भवन से है;

(19) "निहित" का तात्पर्य नियमों द्वारा बिहित से है;

(20) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य बिहित प्राधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का संपादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी से है;

(21) किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, "सार्वजनिक मार्ग", "सार्वजनिक मार्ग" तथा "मार्ग" के वही अर्थ होंगे जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारितायुक्त स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विधि में हों;

(22) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(23) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;

(24) "सेवा पाइप" का तात्पर्य रोक-टॉटी से परे संयोजक पाइप से भिन्न किसी पाइप से है, जिसके द्वारा किसी भू-गृहादि को जल संभरित किया जाता हो;

(25) "सीवेज" का तात्पर्य विष्टा या नाबदानों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, मलकूपों अथवा नालियों की अन्य अन्तर्वस्तुओं, और हौदी, स्नानागार, अस्तबल, पशु-शाला तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों के दूषित जल से है और इसके अन्तर्गत व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ भी है;

(26) "सीवर" का तात्पर्य सीवेज, दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित नल, उच्छिष्ट जल अथवा अवभूमि जल बहा ले जाने के लिये बन्द वाहक नाला से है;

(27) "सीवर व्यवस्था" का तात्पर्य किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उच्छिष्ट जल, व्यर्थ द्रव पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने से है;

(28) "रोक-टॉटी" का तात्पर्य ऐसी रोक-टॉटी से है, जो किसी भू-गृहादि के जल संभरण को बन्द अथवा विनियमित करने के प्रयोजनार्थ प्रनाड से दूर संयोजक पाइप के सिरे पर लगी हो;

(29) "व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ" का तात्पर्य किसी ऐसे तरल पदार्थ, चाहे उसमें पदार्थ के कण घुले मिले हों या न हों, से है जो पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापार या उद्योग जिसके अन्तर्गत कृषि तथा औद्योगिकी भी है, के दौरान उत्पादित या उत्सर्जित होता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू सीवेज नहीं है;

1[(29-क) नगरीय स्थानीय निकाय का तात्पर्य नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत अथवा किसी नगरीय क्षेत्र समिति से है और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ग्रामीण स्थानीय निकाय का तात्पर्य जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय निकाय के रूप में अधिसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी अन्य क्षेत्र से है।]

(30) "जल संयोजन" के अन्तर्गत—

(क) कोई ऐसी टंकी, जल कुण्ड, बम्बा (हाइड्रैन्ट), स्थायी नल, मीटर या टॉटी भी है, जो किसी असार्वजनिक सम्पत्ति में स्थित हो और जल संस्थान के प्रनाड या अन्य पाइप से संयुक्त हो; और

(ख) जल का ऐसा पाइप भी है जो ऐसी टंकी, जल कुण्ड, बम्बा, स्थायी नल, मीटर या टॉटी को ऐसे प्रनाड या पाइप से जोड़ता हो;

(31) "जल संभरण" का तात्पर्य किसी समुदाय को पीने की तथा अन्य घरेलू उपयोगों, उद्योग, आमोद-प्रमोद तथा विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों की अपेक्षा को पूरा करने वाली जल व्यवस्था प्रणाली से है;

(32) "जल कल" के अन्तर्गत जल मार्ग (जिसमें कोई सोता, झील, झरना, नदी या नहर, कुआं, पम्प, गैलरी, जलाशय, जल कुण्ड, टंकी सम्मिलित हैं), नलिका चाहे वह ढकी हो या खुली, शोधन यूनिट, जल कपाट, संभरण प्रनाड, पुलिया, इंजन, मल वाहन, बम्बा, स्थानीय नल, बाहक नाला और मशीन, भूमि, भवन या ऐसी अन्य वस्तु है जो जल संभरण के लिये हो, अथवा जल संभरण के लिये प्रयुक्त हो अथवा जल संभरण के स्रोतों का संरक्षण के करने के लिये या जल शोधन के लिए हो।

अध्याय-2

निगम की स्थापना, कार्य संचालन, कृत्य तथा शक्तियां

2[3-राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम को उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), जो नगर विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा और उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जो नमामि गंगे और ग्रामीण जल सम्भरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा, के नाम से दो निगमों में तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम की निर्माण तथा अभिकल्प सेवाएं उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के साथ जारी रहेंगी।]

निगम की
स्थापना

4-3[(1) जल निगम (नगरीय) में, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा।

निगम का गठन

(1क) जल निगम (ग्रामीण) में, उपधारा (2कक) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा।]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 2021 की धारा 2(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 2021 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 2021 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

1[(2) जल निगम (नगरीय) में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे,
अर्थात् :-

(क) एक प्रबन्ध निदेशक जो प्रशासनिक अनुभव से युक्त और जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बंधी कार्य के अनुभव से भी युक्त अर्ह अभियंता होगा अथवा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी का कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(ख) विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की भारतीय प्रशासनिक सेवा श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो संयुक्त प्रबन्ध निदेशक अथवा पेय जल और सीवर व्यवस्था सम्बंधी कार्य में अनुभव सहित मुख्य अभियन्ता स्तर के दो अभियंता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

(ग) एक वित्त निदेशक, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जिसके पास वित्त एवं लेखा कार्य सम्बंधी विषयों का अनुभव हो।

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, पदेन होंगे।

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, पदेन

(च) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग, पदेन

(छ) निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश पदेन

(ज) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश, पदेन।

(झ) राज्य में स्थानीय निकायों के पांच निर्वाचित प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2क) जल निगम (ग्रामीण) में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे,
अर्थात् :-

(क) एक प्रबन्ध निदेशक, जो प्रशासनिक अनुभव से युक्त और जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बंधी कार्य के भी अनुभव से युक्त अर्ह अभियंता होगा अथवा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी का भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(ख) विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी का भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो संयुक्त प्रबंध निदेशक अथवा पेय जल तथा सीवर व्यवस्था सम्बंधी कार्य में अनुभव से युक्त मुख्य अभियंता स्तर के दो अभियंता, जो उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(ग) एक वित्त निदेशक, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जिसके पास वित्तीय तथा लेखा कार्य सम्बंधी विषयों का अनुभव हो।

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, पदेन।

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन, पंचायतीराज विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल सम्भरण विभाग, पदेन।

(च) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग पदेन

(छ) निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, पदेन

(ज) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, पदेन

(झ) राज्य में स्थानीय निकायों के पांच निर्वाचित प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।]

(3) अध्यक्ष की तथा पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जायेगी।

1[(4) निगम की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय बैठक में उपस्थित होने के लिये उपधारा (2) के 2[खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (घघ)] में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में उप सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को, उक्त उपधारा के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में उप निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को और उपधारा के खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में संयुक्त निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा।]

5-कोई व्यक्ति निगम का अध्यक्ष या अन्य सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह होगा यदि वह-

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिए अनर्हता

(क) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें नैतिक अधमता समन्वित हो;

(ख) अननुमुक्त दिवालिया हो;

(ग) विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो;

(घ) धारा 6 और 7 में यथा उपबन्धित के सिवाय, निगम के अधीन किसी लाभ के पद पर हो;

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो, जो निगम के उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित रखता हो :

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 1978 की धारा 3 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1984 की धारा 2 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ड) या खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो—

(1) किसी स्थावर संपत्ति की बिक्री, क्रय, उस पट्टे पर देने या उसके विनिमय अथवा उसके लिये किये गये किसी करार में,

(2) धन के ऋण के लिये किसी करार में, या केवल धन के भुगतान के लिये किसी प्रतिभूति में,

(3) किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसमें निगम के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित हो,

(4) निगम को किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो, यदा-कदा बिक्री में, कोई अंश या हित है ।

6-(1) निगम का अध्यक्ष जब तक कि वह पदेन नियुक्त न किया जाय तीन वर्ष के लिये पद धारण करेगा, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, और वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा ।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल

(2) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा तब तक जब तक कि सम्बद्ध स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रधान के रूप में उसकी पदावधि समाप्त न हो जाय, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा किन्तु वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा ।

1[(2-क) धारा 4 के उपधारा (2) के खण्ड (कक) के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जब कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा और वह पुनः नाम-निर्देशन के लिये पात्र होगा।]

(3) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) अध्यक्ष या कोई अन्य उपर्युक्त सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

7-(1) अध्यक्ष तथा धारा 4 की उपधारा (2) के 2[खण्ड (क), (कक) तथा (ख) के अधीन] नियुक्त सदस्यों को निगम की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाय ।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पद के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध

(2) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त कोई अन्य सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कर्तव्यों के पालन में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियों से, जिनमें उसका पद रिक्त होना अन्तर्ग्रस्त न हो, भिन्न परिस्थितियों में अवकाश के कारण अनुपस्थित हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने तथा उसके कृत्यों का संपादन करने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

अ[* * *]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 2007 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 2007 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 46, 2018 की धारा 2 द्वारा निकाला गया। (दिनांक 28 जून, 2017 से प्रभावी।)

1[7(क)]—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अध्यक्ष के समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग, कर्तव्यों का निर्वहन, या कृत्यों का सम्पादन ऐसे उपाध्यक्ष द्वारा, जैसा अध्यक्ष द्वारा आदेश में यथाविहित, निगम के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाय, बिना शर्त या अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति सहित ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, किया जायेगा। तथापि इस प्रकार प्राधिकृत उपाध्यक्ष निगम के कार्यकलापों के संबंध में, अपना पद निगम के अन्तिम नियंत्रण एवं निदेश के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में धारण करेगा।]

8—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण संपादन करने के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे :

कर्मचारियों की नियुक्ति

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति तथा उनके निबन्धन और शर्तों का अवधारण राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायगा ।

(2) निगम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सेवक की ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, निगम का कर्मचारी नियुक्त कर सकता है ।

9—निगम के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष का निगम के अन्य समस्त कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण तथा निदेश होगा और इस बात के अधीन रहते हुए प्रबन्ध-निदेशक का उन पर नियंत्रण होगा ।

कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण

10—(1) निगम की सभी कार्यवाहियां निगम के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी और निगम के सभी आदेश तथा अन्य लिखतें निगम के प्रबन्ध-निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जाएंगी ।

निगम के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

(2) निगम किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति निगम की किन्हीं कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार न होगा ।

11—इसके अधिनियम उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम सामान्य या विशेष आदेश से, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को या अध्यक्ष या प्रबन्ध-निदेशक या निगम के किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को जो धारा 46, 49 और 50 के अधीन उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य न हों, प्रतिनिहित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे ।

शक्तियों का प्रतिनिधान

12—(1) निगम का या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य—

हित होने के कारण निगम की कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता

(क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा 5 के खण्ड (ड) या (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित हो, या

(ख) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से, जिसका उस मामले में पूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या हित हो, वृत्तिक रूप से काम किया हो, धारा 5 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले के सम्बन्ध में निगम या उसकी किसी समिति की किसी कार्यवाही में, जिसके अन्तर्गत किसी संकल्प या प्रश्न पर चर्चा भी है, न तो मत देगा और न भाग लेगा ।

(2) यदि निगम या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित हो, तो वह निगम की या उसकी किसी समिति की किसी ऐसी बैठक में जिसमें ऐसी भूमि से सम्बन्धित किसी विषय पर विचार किया जाना हो, भाग नहीं लेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात निगम या उसकी किसी समिति के किसी सदस्य को उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसकी चर्चा में भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी ।

13—निगम या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल—

अनौपचारिकता रिवित आदि के कारण किये गये कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे

(क) निगम या उसकी किसी समिति में कोई रिवित या उसके गठन में कोई त्रुटि होने; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में, जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने; या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, के कारण प्रविधिमान्य न होगी ।

14—उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) की अधिकारिता राज्य का अधिसूचित नगरीय क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

धारा 14 का संशोधन उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) की अधिकारिता का क्षेत्र और उसके कृत्य

(एक) राज्य सरकार के निदेशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था और मल निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनका उन्नयन करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना ।

(दो) राज्य सरकार और नगरीय स्थानीय निकायों को निजी संस्था या व्यक्तियों के अनुरोध पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाएं करना ।

(तीन) राज्य सरकार के निदेशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था तथा जल निकासी के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना ।

(चार) जल संस्थानों और नगरीय स्थानीय निकायों, जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, के क्षेत्रों के भीतर टैरिफ, करों तथा जल सम्भरण प्रभारों के समीक्षा करना और उन पर सलाह देना ।

(पाँच) अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करने तथा उनका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना ।

(छः) जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना।

(सात) नगरीय क्षेत्रों में ऐसे सभी कृत्य करना, जो यहाँ पर उल्लिखित न हों और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये जा रहे थे।

(आठ) प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जो धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो। जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं की वार्षिक समीक्षा करना।

(नौ) राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा अनुरक्षण करना।

(दस) जब राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय तब किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी निबन्धनों तथा शर्तों पर ऐसी अवधि के लिए, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना।

(ग्यारह) राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन-शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना।

(बारह) निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षता पूर्वक निस्तारित करने के लिए व्यावहारिक अनुसंधान करना।

(तेरह) इस अधिनियम द्वारा या तदधीन निगम को सौंपे गये किन्हीं कृत्यों को करना, और

(चौदह) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जाएं।

¹[14-क उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की अधिकारिता राज्य का ग्रामीण क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की अधिकारिता का क्षेत्र और उसके कृत्य

(एक) जल सम्भरण के लिए तथा सीवर व्यवस्था और मल निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनका उन्नयन करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना;

(दो) राज्य सरकार और ग्रामीण स्थानीय निकायों को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना;

(तीन) राज्य सरकार के निदेशों पर जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था तथा जल निकासी के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना;

(चार) ग्रामीण स्थानीय निकायों, जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, के क्षेत्र के भीतर टैरिफ, कर तथा जल सम्भरण प्रभारों की समीक्षा करना और उन पर सलाह देना;

(पाँच) अपेक्षित सामग्रियों का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करने तथा उनका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना;

(छः) जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना;

(सात) ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे समस्त सम्बन्धित कृत्यों को करना, जो यहाँ उल्लिखित न हों, और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये जा रहे थे;

(आठ) प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जिसने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, के जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं की वार्षिक समीक्षा करना;

(नौ) राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संबद्ध पहलुओं की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने की सुविधा स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना;

(दस) जब राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय तब किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी निबन्धन और शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना;

(ग्यारह) राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन-शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना;

(बारह) निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षता पूर्वक व्यावहारिक अनुसंधान करना;

(तेरह) उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा;

(चौदह) इस अधिनियम द्वारा तदधीन निगम को सौंपे गये किन्हीं अन्य कृत्यों को करना; और

(पन्द्रह) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो गजट में, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जायें।]

1[15]—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन निगम को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी, जो इसके लिए इस अधिनियम के अधीन उसके अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो। **निगम की शक्ति**

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी अधिकारिता क्षेत्र में ऐसी शक्ति के अन्तर्गत उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी:—

(एक) समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी संचालित होती हों, निरीक्षण करना;

(दो) किसी सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा संचालन अधिकरण से ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना, जिसे वह आवश्यक समझे;

(तीन) अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;

(चार) जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजनाएं तैयार और उन्हें कार्यान्वित करना;

(पाँच) राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यष्टियों को निगम द्वारा प्रदान की गयी समस्त सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना;

(छः) किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे;]

(सात) स्वयं वार्षिक बजट अभिस्वीकृत करना;

(आठ) जल संस्थानों के अधिकारिता में समाविष्ट सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, लागू जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए टैरिफ का अनुमोदन करना;

(नौ) धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना;

(दस) स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिए ऋण वितरण करना;

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों, जिन्हें निगम आवश्यक समझे, को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।]

16—(1) निगम किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय से ऐसी रिपोर्ट तथा सूचना जिसे निगम आवश्यक समझे मांग सकता है और उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे जल संस्थान या स्थानीय निकाय को ऐसे निवेश जारी कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे। **रिपोर्ट तथा सूचना मांगने की शक्ति**

(2) (क) इस प्रकार जारी किये गये निदेशों का सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय द्वारा, यथाशक्यशीघ्र, अनुपालन किया जायगा;

(ख) यदि ऐसा जल संस्थान या स्थानीय निकाय ऐसे निदेशों से असहमत हो अथवा उनका अनुपालन करने में कोई कठिनाई अनुभव करे तो वह उस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

17—निगम किसी ऐसी योजना या निर्माण कार्य के व्यय में, जिसके निष्पादन या अग्रेतर निष्पादन का कार्य धारा 14 के खण्ड (1) के अधीन किया जाय, पर्यवेक्षण तथा प्रति सैकड़ा परिव्यय ऐसी दर पर, जो ऐसी सीमा से अधिक न हो जिसे विहित किया जाय जिसे वह धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (5) के अधीन अवधारित करे, सम्मिलित कर सकता है। **पर्यवेक्षण तथा प्रति सैकड़ा परिव्यय**

अध्याय 3

जल संस्थानों की स्थापना, कार्य संचालन, कृत्य तथा शक्तियां

18—(1) यदि राज्य सरकार की राय में, स्थानीय परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित हो और किसी क्षेत्र में जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं में सुधार करना आवश्यक या समीचीन समझा जाय तो वह उस क्षेत्र के लिये जल संस्थान के नाम से एक निकाय गठित कर सकती है। **जल संस्थान की स्थापना**

(2) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट दिनांक से गठित किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई जल संस्थान ¹[जो धारा 20 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट जल संस्थान न हो] इस प्रकार गठित किया जा सकता है। कि एक या एकाधिक स्थानीय निकायों के स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, जैसा राज्य सरकार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, उसकी अधिकारिता हो।

(4) जल संस्थान शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह जल संस्थान “(क्षेत्र का छोटा नाम जैसा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो) जल संस्थान” के नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा, और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने अथवा उसका निस्तारण करने को शक्ति होगी।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 1978 की धारा 4 द्वारा रखा गया।

(5) जल संस्थान को सभी प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझा जायेगा।

(6) जल संस्थान का मुख्य कार्यालय उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा।

(7) जल संस्थान का अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थानों पर भी, जहाँ वह आवश्यक समझे, उप-कार्यालय हो सकता है।

(8) राज्य सरकार, जहाँ वह लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, गजट में अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से —

(क) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जल संस्थान के क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है अथवा उसमें से कोई क्षेत्र अलग कर सकती है;

(ख) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जल संस्थान के क्षेत्र को दो या अधिक जल संस्थानों के क्षेत्र में पृथक-पृथक बांट सकती है;

(ग) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दो या अधिक जल संस्थानों के क्षेत्रों को एकल जल संस्थान के क्षेत्र में समामेलित कर सकती है; या

(घ) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जल संस्थान के क्षेत्र का कोई भाग ऐसा क्षेत्र न रह जाने की घोषणा कर सकती है।

1[19]—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों और जिनके लिये धारा 18 के अधीन कोई जल संस्थान स्थापित न किया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जल संस्थान के सभी या किन्हीं शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ जल निगम को जल संस्थान समझा जायेगा और ऐसे अधिसूचना के दिनांक को जल संस्थान के गठन का दिनांक समझा जायेगा।

जल संस्थान के रूप में जल निगम

2[20]—(1) नगर महापालिका के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता के लिये गठित जल संस्थान में एक अध्यक्ष, जो नगर महापालिका का नगर प्रमुख (पदेन) होगा और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे अर्थात् :-

जल संस्थान का गठन

(क) एक महा प्रबंधक जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जो प्रशासकीय अनुभव और जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियन्ता होगा ;

(ख) स्वास्थ्य सेवा का एक संयुक्त निदेशक, जिसे स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा ;

(ग) नगर महापालिका के तीन सभासद जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(घ) निगम के दो प्रतिनिधि ;

(ङ) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश ;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 1978 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) नगर महापालिका के मुख्य नगर अधिकारी।

(2) म्युनिसिपल बोर्ड के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये गठित जल संस्थान में एक अध्यक्ष जो म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसिडेंट पदेन होगा और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) एक महाप्रबंधक जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायेगा जो प्रशासकीय अनुभव और जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियन्ता होगा ;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ कोई अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ग) निगम के दो प्रतिनिधि ;

(घ) उसे जिले का, जहां जिले का प्रधान कार्यालय स्थित हो, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) ;

(ङ) एक अधिकारी, जिसे स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा ;

(च) म्युनिसिपल बोर्ड के दो निर्वाचित सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) किसी अन्य जल संस्थान में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे अर्थात् -

(क) उस जिले का जहां जल संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित हो, कलेक्टर पदेन ;

(ख) सामुदायिक विकास विभाग का ज्येष्ठतम अधिकारी जिसका मुख्यालय जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत हो ;

(ग) एक महा प्रबन्धक ¹[जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा] जो प्रशासकीय अनुभव और जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियन्ता होगा ;

(घ) निगम के दो प्रतिनिधि ;

(ङ) जल संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जिले के स्थानीय निकाय के निर्वाचित अध्यक्षों या सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां जल संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या पांच से कम है वहां ऐसे नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या पांच होगी जिनमें से प्रत्येक जिले से कम से कम एक व्यक्ति होगा।

(च) उस जिले का जहां जल संस्थान का मुख्यालय स्थित हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

21-निगम का अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हताओं से संबंधित धारा 5 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित जल संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पदों के संबंध में लागू होंगे। अनर्हतायें

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1984 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

22—(1) जल संस्थान का अध्यक्ष जब तक कि वह पदेन नियुक्त न किया जाय, **कार्यकाल** तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, और वह पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) धारा 20 के खण्ड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा तब तक जब तक कि सम्बद्ध स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त न हो जाय इन दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(3) धारा 20 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्य ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा।

(4) जल संस्थान का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

23—(1) जल संस्थान के अध्यक्ष तथा ऐसे अन्य सदस्यों को, जो जल संस्थान **पारिश्रमिक** के लिये पूर्णकालिक रूप से कार्य करें, जल संस्थान की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायेगा जो राज्य सरकार निश्चित करे।

(2) यदि जल संस्थान का अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कर्तव्यों के पालन में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियों से, जिनमें उसका पद रिक्त होना अर्न्तग्रस्त न हो, भिन्न परिस्थितियों में अवकाश के कारण अनुपस्थित हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने तथा उसके कृत्यों का संपादन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

24—जल संस्थान के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

जल संस्थान के कृत्य

(1) जल सम्भरण की योजनाएं बनाना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना;

(2) जहां साध्य हो, वहां सीवर व्यवस्था, सीवेज संबंधी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रवर्तन;

(3) अपने कार्य-कलापों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्यप्रद जल मिल सके और, जहां साध्य हो वहां दक्ष सीवर व्यवस्था संबंधी सेवा की व्यवस्था की जा सके;

(4) ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो;

(5) ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा उसे सौंपे।

25—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक जल संस्थान को **जल संस्थान की शक्तियां** ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी:—

(1) उस क्षेत्र के, जो उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत हो, जल-सम्भरण, सीवर व्यवस्था और सीवेज संबंधी निस्तारण से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करना;

(2) भूमि तथा अन्य सम्पत्ति अर्जित करना, उन पर अधिपत्य रखना और उन्हें धारित करना और किसी राज मार्ग सड़क मार्ग या स्थान से होकर, उसके आर-पार ऊपर या नीचे से और स्वामी या अध्यासी को युक्तियुक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी भवन या भूमि में, उससे होकर, उसके ऊपर या नीचे से कोई जल या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण कार्य करना;

(3) किसी प्राकृतिक स्रोत से जल और उच्छिष्ट जल का निस्तारण करना;

(4) किसी व्यक्ति या निकाय के साथ ऐसी संविदा या करार करना जिसे जल संस्थान आवश्यक समझे;

(5) प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना;

(6) निगम के अनुमोदन के अधीन रहते हुए जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के लिये ऐसे टैरिफ लगाना या उसमें संशोधन करना और इन सेवाओं के लिए ऐसे सभी कर तथा प्रभार वसूल करना जो विहित किए जायें :

¹[प्रतिबन्ध यह है कि टैरिफ लगाने या उसमें संशोधन करने का विनिश्चय नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी नोटिस, जो विहित की जाय, देने के पश्चात् लाये गये विशेष प्रस्ताव को जल संस्थान की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई के बहुमत से पारित न कर दिया गया हो]

(7) व्यय करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना;

(8) निगम से ऋण, अग्रिम, वित्तीय सहायता तथा अनुदान प्राप्त करना।

26- इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई जल संस्थान सामान्य या विशेष आदेश से, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को या महाप्रबन्धक को अथवा जल संस्थान के किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को जो धारा 44 और 50 के अधीन शक्तियां तथा कर्तव्य न हों, प्रतिनिहित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

शक्तियों का प्रतिनिधान

27-(1) जल संस्थान राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से ऐसे पदों का और ऐसे पद नामों के साथ सृजन कर सकता है जिसे वह अपने कृत्यों से दक्षतापूर्ण सम्पादन के लिये आवश्यक समझे।

पदों का सृजन और कर्मचारियों की नियुक्ति

(2) उप धारा (1) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति जल संस्थान द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पदों पर जिसे राज्य सरकार धारा 27(क) के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति और ऐसे पदों पर पर नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों का अवधारण सरकार के अनुमोदन से किया जायेगा।

(3) अध्यक्ष के सामान्य नियन्त्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, जल संस्थान के समस्त कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियन्त्रण महा प्रबंधक में निहित होगा।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 1978 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1984 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

1[27-क (1) धारा 27 या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे अधिकारियों और सेवकों की जिन्हें राज्य सरकार उपयुक्त समझे एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है, जो राज्य में जल संस्थान या जल संस्थानों, नगर महापालिकाओं और नगर पालिकाओं के लिये सामान्य हों, और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती हो।

सेवाओं का
केन्द्रीयकरण

(2) जहां ऐसी किसी सेवा का सृजन किया जाय, वहां सेवा में सम्मिलित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों और उन पदों के कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने वाले अधिकारियों और सेवकों को, यदि उपयुक्त पाये जायें, अनन्तिम या अन्तिम रूप से सेवा में आमेलित किया जा सकता है, और अन्य सेवायें विहित रीति से समाप्त की जायेगी।

(3) ऐसी सेवा के सृजन पर स्थानीय निकाय निदेशक के लिये या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिये किसी जल संस्थान या जल कल में किसी पद पर कार्यरत किसी कर्मचारी को किसी अन्य जल संस्थान या जल कल को स्थानान्तरित करना विधिपूर्ण होगा।

(4) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के लिये भी व्यवस्था की जा सकती है।]

28—(1) जल संस्थान की सभी कार्यवाहियां जल संस्थान के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी, और जल संस्थान के सभी आदेश तथा अन्य लिखतें जल संस्थान के महाप्रबन्धक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी।

जल संस्थान के
आदेशों तथा अन्य
लिखतों का
अधिप्रमाणीकरण

(2) जल संस्थान किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति जल संस्थान की किन्हीं कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

29—जल संस्थान या उसके द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही केवल—

अनौपचारिकता,
रिक्ति आदि के
कारण किये गये
कार्य अविधिमान्य
नहीं होंगे

(क) जल संस्थान या उसकी किसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने के कारण अविधिमान्य न होगी।

30—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जल संस्थान तथा उपभोक्ता के बीच होने वाला कोई विवाद निगम को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

उपभोक्ताओं से
भिन्न

अध्याय-4

सम्पत्तियों आस्तियों, दायित्वों व आभार का निहित किया जाना और कर्मचारियों का अन्तरण

1[31]—(1) निगम की स्थापना के दिनांक, जिसे आगे “नियत दिनांक” कहा गया है, से—

निगम सम्पत्ति का निहित होना तथा अन्तरण

(क) समस्त सम्पत्तियों और आस्तियों (जिसके अन्तर्गत जल-कल, भवन, प्रयोगशालाएं, भण्डार, यान फर्नीचर और अन्य साज-सामान सम्मिलित हैं) जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम में नियत दिनांक के ठीक पूर्व निहित थीं, सब निगम में निहित हो जायेंगी और अन्तरित हुई समझी जायेंगी जैसा कि राज्य सरकार किसी आदेश द्वारा अवधारित करे।

(ख) तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम के समस्त अधिकार देनदारियों और दायित्व, चाहे वे उक्त विभाग से सम्बन्धित किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब निगम के अधिकार, देनदारियों और दायित्व होंगे;

(2) ऐसी सम्पत्तियों, आस्तियों, अधिकारियों, देनदारियों और दायित्वों का मूल्यांकन ऐसे रीति से किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करे।

(3) राज्य सरकार समय-समय पर निगम की सम्पत्तियों, आस्तियों, देनदारियों और दायित्वों का स्टॉक ले सकती है और किसी यथा विहित सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के मध्य निहित करने, अन्तरित करने या पुनः आवंटित करने हेतु निर्देशित कर सकती है।

(4) जहाँ नियत दिनांक के ठीक पूर्व इस अधिनियम को अधीन निगमों के मध्य बंटवारा के अध्याधीन तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम किसी सम्पत्ति अधिकार या देनदारियों के सम्बन्ध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के लिए पक्षकार हों वहाँ इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के आधार पर उस सम्पत्ति या उन अधिकारों या देन-दारियों में अंश धारण करने वाला या अर्जित करने वाला निगम तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम पर प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा अथवा उसे कार्यवाही हेतु पक्षभार के रूप में जोड़ा जायेगा।]

32—जहां कोई सन्देह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति या आस्ति निगम में धारा 31 के अधीन निहित हुई है या कोई अधिकार, दायित्व या आभार उस धारा के अधीन निगम का अधिकार, दायित्व और आभार हो गई है वहां ऐसे सन्देह या विवाद को राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

सम्पत्ति के निहित होने के संबंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा

33—(1) जहां कहीं भी धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई जल संस्थान गठित किया जाए वहां—

वर्तमान जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाओं का जल संस्थान में निहित होना

(क) समस्त वर्तमान जल संभरण सेवायें और जहां जल संस्थान धारा 24 के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट कृत्यों को अपने हाथ में ले, वहां वर्तमान समस्त सीवर व्यवस्था संबंधी सेवायें, सीवेज संबंधी कार्य तथा सीवेज फार्म जिनके अन्तर्गत, यथास्थिति, सभी संयंत्र, मशीनरी, जल-कल, पम्पिंग स्टेशन, छानने की टंकियां, जल प्रनाड तथा किसी सार्वजनिक मार्ग में या उसके किनारे, ऊपर या नीचे सार्वजनिक सीवर तथा ऐसे सभी भवन भूमि और अन्य निर्माण कार्य, सामग्री, भंडार और उससे संबंधित वस्तुयें जो जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर प्रत्येक स्थानीय निकाय की हों या उसमें निहित हों;

(ख) उक्त जल प्रनाड तथा सीवरों से संलग्न उतनी अवभूमि जो किसी ऐसे जल प्रनाड तथा सीवरों या किन्हीं पाइपों तथा ऐसे अन्य उपकरणों और फिटिंग्स, जो ऐसे जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं और कार्यों तथा सीवेज फार्मों से संबंधित हो, को बढ़ाने, गहरा करने या अन्य प्रकार से उनकी मरम्मत या उनका अनुरक्षण करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो; और

(ग) खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित वस्तुओं से संबंधित ऐसे स्थानीय निकाय के समस्त अधिकार, दायित्व तथा बाध्यताएं जिनके अन्तर्गत जल— कर तथा सीवर व्यवस्था संबंधी कर के, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, और जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं से संबंधित किसी परिव्यय या फीस के बकाया की वसूली का अधिकार भी है और इसके अन्तर्गत खण्ड (क) या (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित अथवा उपयोजित ऋण से भिन्न उपर्युक्त किसी बात के लिये सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त स्थानीय निकाय को दिये गये किसी ऋण से होने वाले दायित्व भी है;

जल संस्थान के गठित होने के दिनांक से (जिसे आगे इस अध्याय में “उक्त दिनांक” कहा है उसमें निहित होंगे और उसे अन्तरित हो जायेंगे और उसके नियंत्रणाधीन होंगे।

(2) ऐसी सम्पत्ति, आस्ति, अधिकार, दायित्व और आभार का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायगा जैसी राज्य सरकार अवधारित करे।

(3) जहां इस संबंध में कोई संदेह या विवाद उठे कि कोई संपत्ति, या आस्तियां उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान में निहित हो गई हैं या नहीं अथवा कोई अधिकार, दायित्व या बाध्यताएं इस धारा के अधीन जल संस्थान के अधिकार, दायित्व या बाध्यतायें हो गई हैं, या नहीं तो ऐसा संदेह या विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और सम्बद्ध जल संस्थान तथा स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।

34—धारा 24 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों के संबंध में उक्त दिनांक के पूर्व किसी स्थानीय निकाय द्वारा, उसके साथ या उसके लिये उपगत समस्त ऋण तथा बाध्यताएं की गई समस्त संविदायें और किये जाने के लिए वचनबद्ध समस्त विषय तथा बातें जल संस्थान द्वारा, उसके साथ या उसके लिये उपगत किए गए या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जायेंगी, और ऐसे सभी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां जो स्थानीय निकाय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित हों या जो यदि धारा 33 की उपधारा प्रतिवादित की जा सकती, जल संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती हैं, अथवा संस्थित या प्रतिवादित की जा सकती हैं।

35—यदि राज्य सरकार की राय हो कि यह लोक-हित में है कि किसी जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकाय को जिनकी ऐसे क्षेत्रों पर एक दूसरे से लगे हुए हों, अधिकारिता हो, जल सम्भरण सेवाओं या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं अथवा दोनों के सम्बन्ध में अपने कार्य-कलापों का समन्वय करना चाहिए तो वह ऐसे जल संस्थान और सम्बद्ध स्थानीय निकाय को ऐसे निदेश जारी कर सकती हैं। जिन्हें वह उचित समझे और उस जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेश का अनुपालन करे।

36—जहां धारा 46 के अधीन किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय और निगम के बीच किसी करार में ऐसी व्यवस्था हो तो निगम को धारा 49 के अधीन अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे जल कर के, सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर के और जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं से सम्बन्धित किसी परिव्यय या फीस के, बकाया के जो जल संस्थान या स्थानीय निकाय को देय हो, सीधे वसूल करने की भी शक्ति होगी जिससे कि निगम अपने देयों की वसूल सके।

जल संस्थान
उन विषयों के
संबंध में जिन
पर यह
अध्यादेश प्रयोज्य
हो, स्थानीय
प्राधिकार

जल संस्थान
तथा अन्य
स्थानीय निकायों
के कार्यकलापों
का समन्वय

पुनः उधार देने
की संक्रिया के
संबंध में निगम
की विशेष
शक्तियां

¹[37]-(1) इस धारा में उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्ति अथवा समायोजित हो, नियत दिनांक को राज्य सरकार के सामान्य आदेश अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा दिये निदेशों के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का कार्मिक हो जायेगा और उसी अवधि के लिए उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों और पेंशन, उपादान तथा विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारियों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा या सेवा में रहेगा, जिन पर वह नियत दिनांक को उसे धारण करता, यदि वह अधिनियम प्रवृत्त न होता और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा, जब तक उसका सेवायोजन निगम से समाप्त न कर दिया जाय अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार जिससे उसकी सेवाएं नियंत्रित होती हों, निगम द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जाय :

कर्मचारियों का
निगम की
स्थानान्तरण

परन्तु यह कि उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगी, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम को ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, लिखित नोटिस द्वारा कर्मचारी न होने के अपने अभिप्राय की सूचना दे :

परन्तु अग्रतर यह कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम/निगम के अधीन पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा धृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जायेगी और वह तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो—

(क) किसी स्थाई कर्मचारी की दशा में, 03 मास के पारिश्रमिक;

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में एक मास के पारिश्रमिक, के बराबर होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए गठित किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपादान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उसके नाम जमा धनराशि तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नियत दिनांक तक देय संचयित ब्याज और ऐसी निधि से सम्बन्धित लेखा सहित निगम को अन्तरित कर दी जायेगी और तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम के अपवर्जन हेतु, निगम तत्सदृश धनराशियों का जो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार उचित समय पर उन्हें देय हो, संदाय करने के लिए दायी होगा।

उपरोक्त पैरा में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन व अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ निगमों के मध्य वितरित किये जाएंगे।

(3) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन निगम के किसी कर्मचारी के सेवाओं के अन्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 या ऐसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 2021 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) उपधारा (1) के अधीन तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नियत दिनांक को और स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो नियत दिनांक से निगम के अधिष्ठान से सृजित हो जायेगा, निगम का यथास्थिति स्थाई या अस्थायी कर्मचारी हो जायेगा।

(5) छंटनी या पदों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में सिविल सर्विस रेगुलेशन, जैसा कि वह राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू हो, के पैरा 426 या पैरा 436 की कोई बात सिवाय इस धारा में उपबन्धित सीमा तक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी व्यक्ति की सेवाएं, तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम में नियत दिनांक के ठीक पूर्व सेवायोजित या नियत दिनांक से पहले जिसके विरुद्ध हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिसको उसकी सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई नोटिस या आदेश जारी किया जा चुका था, निगम को नियत दिनांक को या से अन्तरित नहीं होगी, और ऐसे व्यक्ति के विषय में नियत दिनांक के पश्चात् ऐसी रीति से ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे।

(ख) यदि तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम के किसी कर्मचारी की सेवाएं उपधारा (1) के अधीन निगम को अन्तरित हो जाती हैं तो निगम ऐसे अन्तरण के पश्चात् राज्य सरकार की सेवा के दौरान ऐसे कर्मचारी की किसी कार्य या लोप या आचरण या अभिलेख को ध्यान में रखते हुए ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध या उसके सम्बन्ध में ऐसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही करने में सक्षम होगा, जिसे वह उचित समझे।]

38—(1) इस धारा में की गई अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, (जिसके अन्तर्गत 1[इस अधिनियम की धारा 27—क] यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 69—वी और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 112—क के अधीन सृजित सेवा का कोई सदस्य नहीं है, जो स्थानीय क्षेत्रों के जिसके लिए कोई जल संस्थान गठित किया गया हो किसी स्थानीय निकाय के अधीन अनन्य रूप से जल संभरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों अथवा सीवेज फार्मों के सम्बन्ध में सेवायोजित हो, उक्त दिनांक को तथा से जल संस्थान का कर्मचारी हो जायेगा और वह उसमें उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर और पेंशन, उपदान तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा, या सेवा में रहेगा 'जिन पर वह उक्त दिनांक को उसे धारण करता, यदि उपर्युक्त जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था 'सम्बन्धी सेवाएं, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्म जल संस्थान को अन्तरित और उसमें निहित न किये गये होते, और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका सेवायोजन जल संस्थान 'से समाप्त न कर दिया जाय अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में अथवा "किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार, जिससे तत्समय उसकी सेवायें नियंत्रित होती हों, जल संस्थान द्वारा उसका पारिश्रमिक वा सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जाये :

**कर्मचारियों का
जल संस्थान
को स्थानान्तरण**

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1984 की धारा 6 द्वारा रखा गया।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू न होगी जो राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लिखित नोटिस द्वारा जल संस्थान का कर्मचारी न होने के अपने अभिप्राय की सूचना दे :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि स्थानीय निकाय के अधीन पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा धृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जायेगी और वह उक्त स्थानीय निकाय से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो –

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, तीन मास के पारिश्रमिक,

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक,

के बराबर तक होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु किसी अभिव्यक्त प्रतिकूल करार के अधीन रहते हुए, उसमें निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संयुक्त प्रान्तीय प्रौद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई० में यथापरिभाषित किसी कर्मकार से भिन्न हो और जो जल संस्थान का कर्मचारी हो जाय, किसी ऐसे अधिष्ठान या उपक्रम से जिसमें वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व सेवायोजित था, जल संस्थान के किसी अन्य अधिष्ठान या उपक्रम में उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व नियंत्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(3) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि उक्त दिनांक के पूर्व कोई व्यक्ति किसी स्थानीय निकाय के अधीन उपर्युक्त जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्मों के सम्बन्ध में अन्य रूप से सेवायोजित था या नहीं तो उसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिये गठित किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उनके नाम जमा धनराशि संबद्ध स्थानीय निकाय द्वारा उक्त दिनांक तक देय संचयित ब्याज और ऐसी निधि से सम्बन्धित लेखे सहित जल संस्थान को अन्तरित कर दी जायगी और स्थानीय निकाय को छोड़कर, जल संस्थान ऐसे कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, उपदान या अन्य तत्सदृश देयों का, जो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार, समुपयुक्त समय पर उन्हें देय हो, भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(5) संयुक्त प्रान्तीय प्रौद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान में किसी कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी उक्त ऐक्ट या ऐसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर का हकदार न होगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा।

(6) किसी स्थानीय निकाय का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान का कर्मचारी होने पर उक्त दिनांक को और से स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो उक्त दिनांक से जल संस्थान के अधिष्ठान में सृजित हो जायगा, जल संस्थान का यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो जायगा।

(7) उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी उक्त दिनांक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन पदों की समाप्ति के दिनांक के बीच सम्बद्ध स्थानीय निकाय की सेवा में बना रहा समझा जायगा, किन्तु स्थानीय निकाय उक्त अवधि के लिये ऐसे कर्मचारी को अपने द्वारा दिये गये पारिश्रमिक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट प्रतिकर का जल संस्थान से प्रतिपूर्ति का भी हकदार होगा ।

(8) सिविल सर्विस रेग्यूलेशन, जैसा कि राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति के नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू है, के पैरा 426 या पैरा 436 अथवा पदों की छंटनी या उनको समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों से सम्बन्धित किन्हीं अन्य नियमों को कोई बात, सिवाय इस धारा में व्यवस्थित सीमा तक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू न होगी ।

(9) ¹[इस अधिनियम की धारा 27-क, यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 69-बी, तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 112-क या उक्त धाराओं के अधीन बनाये गये नियमों में केन्द्रीयित सेवाओं के सम्बन्ध में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीयित सेवा का प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त धाराओं और नियमों में निर्दिष्ट हो, ²[ऐसे जल संस्थान या निगम में जिसको कि स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश के किसी आदेश द्वारा तत्समय उसकी सेवायें प्रदान या स्थान्तरित की जायं, सेवा करने के लिये आबद्ध होगा] और ऐसा कोई कर्मचारी केवल ऐसी प्रतिनियुक्ति के आधार पर कोई प्रतिनियुक्ति या अन्य भत्ता पाने का हकदार न होगा, तथा तद्धीन रहते हुए वह उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर केन्द्रीयित सेवा का सदस्य बना रहेगा जिस पर कि वह ऐसी प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के पहले था ।

(10) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी व्यक्ति की सेवाएं, जो किसी स्थानीय निकाय के अधीन नियत दिनांक से ठीक पूर्व सेवायोजित थी, या नियत दिनांक के पहले जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिसको उसकी सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई नोटिस या आदेश जारी किया जा चुका था, जल संस्थान को नियत दिनांक को या से अन्तरित नहीं होगी और ऐसे व्यक्ति के विषय में नियत दिनांक के पश्चात् ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे ।”

(ख) यदि स्थानीय निकाय के किसी कर्मचारी की सेवाएं उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान को अन्तरित हो जाती हैं तो जल संस्थान ऐसे अन्तरण के पश्चात् ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध या सम्बन्ध में ऐसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही करने को, जिसे वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारी के जब वह स्थानीय निकाय की सेवा में था, किसी कार्य या लोप या आचरण या अभिलेख का ध्यान रखते हुए सक्षम होगा ।

अध्याय 5

सम्पत्ति, संविदा, वित्त, लेखा तथा लेखा परीक्षा

39—निगम या जल संस्थान की ओर से प्रत्येक संविदा अथवा संपत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण—पत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, निष्पादित किया जायगा ।

संविदा आदि का
निष्पादन तथा
रजिस्ट्रीकरण

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1984 की धारा 6(ख)(एक) द्वारा रखा गया ।

2. उपरोक्तानुसार ।

40—(1) निगम की अपनी निधि होगी जो निगम निधि कहलायेगी और स्थानीय निधि समझी जाएगी और जिसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से ऋणों के रूप में प्राप्त धनराशियों से भिन्न सभी प्राप्त धनराशियां जमा की जायेंगी। **निगम की निधि**

(2) निगम की एक और निधि भी होगी जो ऋण निधि कहलायेगी और वह भी स्थानीय निधि समझी जायगी और उसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से ऋणों के रूप में प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी अन्य निधियां गठित कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष संपादन के लिये आवश्यक हों।

41—प्रत्येक जल संस्थान की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि समझी जायगी और जिसमें, जल संस्थान द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी। **जल संस्थान की निधि**

42—निगम, यथा व्यवहार्य और धारा 43 के अधीन राज्य सरकार से किसी अनुदान या वित्तीय सहायता के लिये कोई उधार लेने के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन अपना कार्य संचालन हानि पर नहीं करेगा। **जल निगम के वित्त के लिये सामान्य सिद्धान्त**

43—(1) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल के यथोचित विधीय विनियोजन के पश्चात् समय-समय पर, निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुदान तथा वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करें, दे सकती है। **निगम तथा जल संस्थान को अनुदान तथा वित्तीय सहायता**

(2) राज्य सरकार जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के प्रयोजनार्थ किसी स्थानीय निकाय या जल संस्थान को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान निगम के माध्यम से ही देगी, अन्यथा नहीं।

44—जल संस्थान इस अधिनियम के अधीन अपने कर और प्रभार की दरें समय-समय पर, इस प्रकार निर्धारित तथा समायोजित करेगा जिससे कि वह अपने कार्य संचालन, अनुरक्षण और ऋण सम्बन्धी खर्च को, यथासाध्य, पूरा कर सके और जहां व्यवहार्य हो, अपनी स्थिर आस्तियों पर लाभ प्राप्त कर सके। **जल संस्थान के वित्त के लिए सामान्य सिद्धान्त**

45—राज्य सरकार समय-समय पर निगम को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जिन पर राज्य सरकार और निगम सहमत हों, ऋण दे सकती है। **निगम का ऋण**

46—(1) निगम तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि में जिसके अधीन कोई स्थानीय निकाय गठित किया जाता है, किसी बात के होते हुए भी, और उपधारा (5) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, अपनी स्थापना के दिनांक से एकमात्र ऐसा स्थानीय प्राधिकारी होगा जो जल-संभरण और सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के लिये कोई भी धनराशि उधार लेने के लिये प्राधिकृत है : **जल निगम की उधार लेने और पुनः उधार देने की शक्ति**

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्थानीय निकाय जिसकी ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता हो जो जल संस्थान की अधिकारिता में सम्मिलित न हो, राज्य सरकार के अनुमोदन से, जो ऐसा अनुमोदन देने के पूर्व निगम से परामर्श करेगी, ऐसी सेवाओं के लिये कोई भी धनराशि उधार ले सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से और इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, अधीन रहते हुये इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित धनराशि, या तो बन्ध-पत्र या निधि-पत्र

जारी करके या अन्य प्रकार से अथवा ऐसे बैंकरो या अन्य निकायों या संस्थाओं से जो इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, उहाराव करके उधार ले सकता है।

(3) निगम द्वारा इस धारा के अधीन जारी किया जाने वाला ऋण-पत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायेगा, उसके संबंध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जायगी तथा उसे ऐसी रीति से मोचित किया जायगा जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(4) निगम ऐसी उधार ली गई धनराशि का कोई भाग किसी स्थानीय निकाय को जल-संभरण और सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं से संबंधित कृत्यों के संपादन के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें निगम अवधारित करे, अग्रिम दे सकता है।

(5) यदि निगम ने किसी जल संस्थान या किसी स्थानीय निकाय को जल-संभरण तथा सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाओं के लिये ऋण देने के लिये कोई धनराशि उधार ली हो तो निगम ऐसा ऋण उक्त जल संस्थान या स्थानीय निकाय को ऐसे निबन्धनों तथा ब्याज की दरों पर, उतनी धनराशि में तथा प्रतिदान की ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, अन्तरित करेगा जिन पर निगम और जल संस्थान या स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं की दक्ष प्रोन्नति, उनके निष्पादन, संचालन तथा अनुरक्षण के लिए करार द्वारा व्यवस्था करें।

47-निगम तथा प्रत्येक जल संस्थान एक अवक्षयण संचिति सृजित करेगा और उसके लिये ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायें, वार्षिक व्यवस्था करेगा। **अवक्षयण संचिति**

48-राज्य सरकार, इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिये निगम को दिये गये या अन्तरित किये गये किसी ऋण के प्रतिदान तथा सभी ऋणों पर ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति कर सकेंगी। **प्रत्याभूतिदाता के रूप में सरकार**

49-(1) जहां कोई जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जो किसी करार के अधीन निगम के प्रतिदायी हो, किसी ऋण या अग्रिम अथवा उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में व्यतिक्रम करे या अन्यथा निगम के साथ किये गये करार के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहे तो निगम राज्य सरकार से इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए अनुरोध कर सकता है। **निगम द्वारा सीधे प्रबन्ध**

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निगम से अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय की स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकती है कि निगम, जल संस्थान या स्थानीय निकाय को यथास्थिति, जल संभरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं या दोनों का प्रबन्ध ले लेगा, और उसके देयों को ऐसे प्रबन्ध-तन्त्र के माध्यम से वसूल करेगा, और ऐसा आदेश तीन वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिये प्रभावी होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अपने मूल आदेश की कार्यान्वयन अवधि को समय-समय पर आदेश द्वारा इस प्रकार बढ़ा सकती है जिससे कि इस प्रकार बढ़ायी गयी कुल अवधि दो वर्ष से अधिक न हो।

1(2-क) यदि किसी समय राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय ने, यथास्थिति, जल संभरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं या दोनों का कुप्रबन्ध किया है, या उसकी सम्पत्ति को हानि पहुँचायी है, तो वह, उस जल संस्थान या स्थानीय निकाय की, जल संभरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी

सेवाओं का अन्तरण सीधे निगम को कर सकती है, और ऐसा आदेश तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये प्रभावी होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अपने मूल आदेश के कार्यान्वयन की अवधि को समय-समय पर आदेश द्वारा इस प्रकार बढ़ा सकती है कि ऐसी वृद्धि की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक न हो ।]

(3) यदि किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जल संभरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का प्रबन्ध निगम द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो अथवा कोई देय धनराशियां ¹[उपधारा (2) या उपधारा (2-क) के उपबन्धों] के अधीन उसके द्वारा वसूल कर ली गई हों, तो इस प्रकार प्रबन्ध तथा वसूली के सम्बन्ध में उसके द्वारा उचित रूप से किये गये सभी खर्च, परिव्यय तथा व्यय जल संस्थान या स्थानीय निकाय से वसूल किये जा सकेंगे और ऐसी धनराशि, जो उसने उक्त प्रबन्ध तथा वसूली से प्राप्त की हो, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर उसके द्वारा न्यास में रखी जायगी जिसका उपयोजन प्रथमतः उक्त खर्च, परिव्यय तथा व्यय का भुगतान करने में और द्वितीयतः निगम को देय ऋण चुकाने में किया जायगा और इस प्रकार प्राप्त धनराशि का अवशिष्ट ऐसे जल संस्थान या स्थानीय निकाय को दिया जायगा जो उसे पाने का हकदार हो।

(4) जहां ²[उपधारा (2) या उपधारा (2-क) के अधीन] कोई आदेश दिया जाय, वहां सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय और यथास्थिति, जल सम्भरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं अथवा दोनों में लगे हुए उसके कर्मचारी ऐसे आदेश का तत्काल अनुपालन करेंगे, और निगम के अनुरोध पर जिले का कलेक्टर ऐसी सेवाओं से सम्बन्धित किसी सम्पत्ति या आस्ति, लेखा बही, रजिस्टर या दस्तावेज निगम को दिलाने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विशिष्टतः ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

50-(1) निगम और जल संस्थान वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम का, यथास्थिति, एक विवरण-पत्र तथा/अथवा अनुपूरक विवरण-पत्र तथा उसके सम्बन्ध में एक वित्तीय प्राक्कलन उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेंगे तथा उसके दौरान किसी भी समय तैयार कर सकते हैं और उन्हें निगम की दशा में राज्य सरकार को और जल संस्थान की दशा में निगम को ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे दिनांक तक जैसा राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम के पूर्वानुमोदन के लिये प्रस्तुत करेंगे:

लेखे और
लेखापरीक्षा

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पूर्वानुमोदन के ऐसे वित्तीय वर्ष के जिसके सम्बन्ध में उक्त वित्तीय विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त न होने की दशा में, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान सभी लेखों में उतनी धनराशि तक की जो पूर्व वित्तीय वर्ष की तत्स्थानी अवधि के लिये अनुमोदित धनराशि से अधिक न हो, व्यय करने का हकदार होगा और ऐसी धनराशि में उक्त अवधि के दौरान अनुदान तथा वित्तीय सहायता में से व्यय की गई कोई धनराशि सम्मिलित न होगी।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 1978 की धारा 8(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 1978 की धारा 8(तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) निगम तथा जल संस्थान ऐसी उचित लेखा बही और अपने लेखों के सम्बन्ध में ऐसी अन्य बहियां रखवायेंगे और पक्का चिट्ठा ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसा विनियमों द्वारा अपेक्षित हो, तैयार करावेंगे।

(3) निगम और जल संस्थान के लेखों की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर की जायगी, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में लेखों के प्रस्तुत किये जाने और सूचना दिये जाने की अपेक्षा करने की और अस्वीकृति और अधिभार के सम्बन्ध में ऐसी शक्ति होगी, जो विहित की जाय।

(4) निगम और जल संस्थान के वे लेखे जो लेखा-परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित हों और उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष क्रमशः राज्य सरकार और निगम को भेजे जायेंगे जो उनके सम्बन्ध में, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान को ऐसे निदेश जारी कर सकता है जो वह उचित समझे, और निगम या जल संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(5) राज्य सरकार —

(क) उपधारा (4) के अधीन उसे प्राप्त निगम के लेखे, उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी : और

(ख) निगम के लेखे को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी, जो वह उचित समझे।

51—(1) यथास्थिति, निगम या जल संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी निगम या जल संस्थान की किसी धनराशि या संपत्ति की हानि, दुर्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार के दायी होंगे यदि ऐसी हानि, दुर्यय या दुरुपयोग ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के रूप में इस प्रकार कार्य करते हुए उसकी प्रत्यक्ष उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाय।

(3) कोई धनराशि जो ऐसी हानि, दुर्यय या दुरुपयोग में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अन्तर्ग्रस्त पायी जाय, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(4) निगम या जल संस्थान को, उपधारा (3) की कोई बात उसमें निर्दिष्ट धनराशि को ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी को पारिश्रमिक के मद्दे या अन्य प्रकार से निगम या जल संस्थान द्वारा देय किसी धनराशि में से, कटौती करने से निषिद्ध न करेगी।

अध्याय 6

कर, फीस तथा परिव्यय

52—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जल संस्थान अपने क्षेत्र के भीतर स्थित उद्ग्रहणीय कर भू-गृहादि दर—

(क) जहां क्षेत्र जल संस्थान की जल सम्भरण सेवा के अन्तर्गत आता हो, जल कर, और

(ख) जहां क्षेत्र जल संस्थान की सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के अन्तर्गत आता हो, सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर, उद्ग्रहीत करेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित कर ¹[नगर से भिन्न किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसी दर पर उद्गृहीत किये जायेंगे], जो भू-गृहादि के निर्धारित वार्षिक मूल्य के, जल कर की दशा में छः प्रतिशत से कम और चौदह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर की दशा में दो प्रतिशत से कम तथा चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसा राज्य सरकार निगम की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे ।

²[(3) उपधारा (1) में उल्लिखित कर, किसी नगर में ऐसी दर पर उद्गृहीत किये जायेंगे जो भू-गृहादि के; उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के, जल कर की दशा में साढ़े सात प्रतिशत से कम और साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर की दशा में ढाई प्रतिशत से कम तथा पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसा राज्य सरकार निगम की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करें।]

3[स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजन के लिये,—

(एक) पद “नगर” का अर्थ वही होगा जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उसके लिये समनुदेशित है ; और

(दो) पद “सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कर” का अर्थ वही होगा जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में जल निस्तारण कर के लिये समनुदेशित है।]

53—(1) ⁴[धारा 52 की उपधारा (2)] के प्रयोजनार्थ, “वार्षिक मूल्य” का तात्पर्य—

(क) रेलवे स्टेशन, शिक्षा संस्था (जिसके अन्तर्गत उनके छात्रावास तथा हाल भी हैं), कारखाना (जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 में परिभाषित है) और वाणिज्य अधिष्ठान (जैसा कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में परिभाषित है) की दशा में, भू-गृहादि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत।

(ख) किसी अन्य भू-गृहादि की दशा में ऐसे सकल वार्षिक किराये जिस पर ऐसा भू-गृहादि वास्तव में किराये पर दिया गया हो अथवा यदि भू-गृहादि किराये पर न दिया गया हो तो ऐसे सकल वार्षिक किराये जिस पर भू-गृहादि को युक्तियुक्तः किराये पर दिये जाने की आशा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि स्वामी द्वारा स्वयं अध्यासित भू-गृहादि की दशा में वार्षिक मूल्य इस धारा के अधीन अन्यथा अवधारित वार्षिक मूल्य से पच्चीस प्रतिशत कम समझा जायेगा।

(2) ⁵[धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन करें] का उद्ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, और ऐसा प्राधिकारी या तो स्वयं जल संस्थान या कोई अन्य अभिकरण हो सकता है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1999 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1999 की धारा 2(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1999 की धारा 2(ग) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1999 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1999 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) यदि निर्धारण जल संस्थान द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जाय तो जल संस्थान या ऐसा अन्य अभिकरण विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(4) जब तक किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जल संस्थान या उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्धारित न किया जाय, तब तक उस स्थानीय क्षेत्र में समस्त भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जैसा कि वह सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा गृह कर के प्रयोजनार्थ निर्धारित किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भी भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य समझा जायगा।

(5) जहां किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जल संस्थान या उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, तो वह धारा 54 के अधीन की गई अपील पर उसमें किये गये किसी फेरफार के अधीन रहते हुये, किसी ऐसी विधि में, जिसमें सम्बन्धित स्थानीय निकाय का गठन हुआ हो, किसी बात के होते हुये भी, उस स्थानीय निकाय द्वारा उद्गृहीत गृह कर के प्रयोजनों के लिये भी भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य समझा जायगा।

54—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण द्वारा दिये गये कर-निर्धारण के आदेश से क्षुब्ध हो, विहित प्राधिकारी को ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। **कर निर्धारण के विरुद्ध अपील**

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाय तो विहित प्राधिकारी उस आदेश के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

(3) विहित प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपीलाधीन आदेश या की पुष्टि कर सकता है, या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम और सम्बद्ध पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा।

55—धारा 52 में उल्लिखित करों का उद्ग्रहण निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन होगा, अर्थात्,— **करों के उद्ग्रहण पर निर्बन्धन**

(क) वे किसी ऐसी भूमि पर, जो केवल कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाती हो, उद्गृहीत नहीं किये जायेंगे जब तक कि जल संस्थान द्वारा उस भूमि को ऐसे प्रयोजनों के लिये जल संभरित न किया जाय;

(ख) जल कर किसी ऐसे भू-गृहादि पर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा—

1[(1) जिसका कोई भाग निकटतम स्थायी नल या अन्य जल कल से, जहां पर जनता को जल संस्थान द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, विहित अर्द्ध व्यास के भीतर न हो ; या

(2) जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो और जिसे जल संस्थान द्वारा कोई जल संभरित न किया जाता हो;]

(ग) सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर किसी ऐसे भू-गृहादि पर उद्गृहीत नहीं किया जायगा—

(1) जिसका कोई भाग जल संस्थान के निकटतम सीवर के एक सौ मीटर के अर्द्धव्यास के भीतर न हो ; या

(2) जिसका वार्षिक मूल्य एक सौ पचास रुपये से अधिक न हो।

56—¹(1) धारा 52 में उल्लिखित कर—

कर का भुगतान
करने का दायित्व

(क) यथास्थिति, जल संस्थान के जल संभरण या सीवर से सम्बद्ध भू-गृहादि की दशा में, भू-गृहादि के अध्यासी से,

(ख) ऐसे भू-गृहादि को दशा में जो इस प्रकार सम्बद्ध न हो, भू-गृहादि के स्वामी से; वसूल किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) के अन्तर्गत में आने वाले मामले में जहां ऐसा भू-गृहादि एक से अधिक अध्यासियों को किराये पर दिया जाय या किसी अन्य पर्याप्त कारण से अध्यासी से कर की वसूली समीचीन न पायी जाय, वहां जल संस्थान अपने विकल्प पर कर का उद्ग्रहण अध्यासी से करने के बजाय स्वामी से कर सकती है।

(2) ऐसा कोई स्वामी जिससे उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन कर का उद्ग्रहण किया जाय किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर उसे अध्यासी से वसूल कर सकता है।]

57—धारा 52 में उल्लिखित दोनों करों के उद्ग्रहण, निर्धारण या संग्रहण के प्रयोजनार्थ, जल संस्थान दोनों करों को समेकित कर सकता है।

करों का समेकन

58—धारा 52 में उल्लिखित करों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 178, 214, 215, 222, 223 और 226 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम की धारा 173 में वर्णित संपत्ति कर के सम्बन्ध में लागू होते हैं, और उक्त उपबन्धों में महापालिका और मुख्य नगर अधिकारी के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जायेगा मानों वे क्रमशः जल संस्थान और उसके ऐसे अधिकारी के जिसे तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रति निर्देश हों।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 2,
1959 के कतिपय
उपबन्धों का लागू
होना

59—(1) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा अपने द्वारा सम्भरित जल का परिव्यय, उसके परिमाण के अनुसार, और प्रत्येक संयोजन के सम्बन्ध में लिया जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी निश्चित करेगा।

जल-परिव्यय

(2) जल संस्थान, परिमाण के अनुसार जल-परिव्यय लेने के बजाय विनिर्दिष्ट अवधि के लिये उक्त अवधि में जल के प्रत्याशित उपभोग के आधार पर, एक निश्चित धनराशि स्वीकार कर सकता है।

60—(1) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा, उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय, उसके परिमाण के अनुसार (जो उपभोक्ता को सम्भरित कुल जल के परिमाण का उतना प्रतिशत होगा, जो विहित किया जाय), और ऐसे निस्तारण के सम्बन्ध में लिया जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी निश्चित करेगा।

उच्छिष्ट जल के
निस्तारण का
परिव्यय

(2) जल संस्थान, उपधारा (1) में वर्णित आधार के अनुसार उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय लेने के बजाय विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, उक्त अवधि में उच्छिष्ट जल के प्रत्याशित निस्तारण के आधार पर एक निश्चित धनराशि स्वीकार कर सकता है।

61—जल संस्थान मीटर के लिये ऐसा किराया, जैसी उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जाये ले सकता है।

मीटर का किराया

62—जल संस्थान उपभोक्ता से मीटर का संभरण किये जाने के सम्बन्ध में अथवा सीवर से संयोजित करने के लिये प्रतिभूति स्वरूप ऐसी धनराशि जिसकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, की मांग कर सकता है, परन्तु जल संस्थान इस प्रकार जमा की गई किसी धनराशि पर उतनी दर से जिसे निगम समय-समय पर अवधारित करे, ब्याज देगा।

प्रतिभूति

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1984 की धारा 7 द्वारा पुनर्संख्याकित एवं बढ़ाया गया।

63—जल संस्थान किसी जल संभरण या सीवर के संयोजन, संयोजन को काटने, उसे पुनः संयोजित करने अथवा जांच या पर्यवेक्षण अथवा की गई किसी अन्य सेवा या निष्पादित अथवा पर्यवेक्षित कार्य के लिये ऐसी फीस जिसकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय ले सकता है।

फीस

64—(1) इस अधिनियम के अधीन जल संस्थान को कर, फीस, जल-परिव्यय, उच्छिष्ट जल-निस्तारण परिव्यय, मीटर का किराया, शास्ति, क्षतिपूर्ति या अधिभार के मद्दे देय कोई धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

देय करें तथा
अन्य धनराशि की
वसूली

(2) उपधारा (1) की कोई बात, उपभोक्ता द्वारा उक्त उपधारा में निर्दिष्ट देयों का भुगतान न करने की दशा में जल संस्थान की उपविधियों के अनुसार जल संभरण संयोजन काटन की जल संस्थान की शक्ति पर प्रभाव न डालेगी।

अध्याय-7

जल-संभरण

65—इस अधिनियम के अधीन घरेलू प्रयोजनों के लिये जल संभरण का तात्पर्य, सिवाय निम्नलिखित के, किसी भी प्रयोजन के लिये संभरण से है, अर्थात्—

घरेलू प्रयोजनों के
लिये जल संभरण
की परिभाषा

(क) व्यापार, विनिर्माण या व्यवसाय के लिये ;

(ख) उद्यान या सिंचाई के प्रयोजनार्थ ;

(ग) भवन निर्माण के लिये, जिसके अन्तर्गत मार्गों का निर्माण भी है ;

(घ) फव्वारे, तैरने का बड़ा हौज, सार्वजनिक स्नान गृह या टंकियों के लिये या किसी अलंकारिक या यांत्रिक प्रयोजनों के लिये;

(ङ) ऐसे पशुओं के लिये, यदि वे बिक्री या किराये पर देने के लिये अथवा उनके उत्पाद की बिक्री के लिये रखे जाते हों;

(च) किसी जलपान गृह में या किसी होटल, बोर्डिंग हाउस या नैवासिक क्लब के निवासियों द्वारा उपभोग तथा प्रयोग के लिये;

(छ) नाट्यशाला तथा सिनेमा में अभिगमन करने वाले व्यक्तियों के उपभोग तथा प्रयोग के लिये ;

(ज) मार्गों पर छिड़काव के लिये; या

(झ) गाड़ियों को, यदि वे बिक्री या किराये पर देने के लिये रखी जाती हों, धोने के लिये।

66—(1) जल संस्थान किसी भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी द्वारा तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर निम्नलिखित दशा में घरेलू प्रयोजनों के लिये जल संभरण करने की स्वीकृति देगा—

जल संस्थान द्वारा
जल संभरण

(क) यदि ऐसा भू-गृहादि वर्तमान प्रनाड से तीस मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो; या

(ख) यदि प्रार्थी ऐसे भू-गृहादि की दशा में जो तीस मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो, भू-गृहादि को निकटतम वर्तमान प्रनाड से सम्बद्ध करने के लिये तीस मीटर की दूरी से आगे किसी विस्तार के आवश्यक व्यय को वहन करने के लिये तैयार हो।

स्पष्टीकरण—जल संस्थान तीस मीटर से अनधिक, केवल ऐसी दूरी तक के विस्तार का व्यय वहन करेगा जो भू-गृहादि की वाह्य सीमा को निकटतम वर्तमान प्रनाड से सम्बद्ध करने के लिये पर्याप्त हो।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे जल संभरित किया जाय उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी विस्तार का व्यय वहन करने पर भी, विस्तार में स्वत्व जल संस्थान में निहित होगा।

(3) जल संस्थान तदर्थ आवेदन पत्र दिये जाने पर घरेलू प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये जल संभरण की स्वीकृति दे सकता है।

(4) घरेलू या अन्य प्रयोजनों के लिये जल संभरण ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन होगा जिनकी व्यवस्था उप-विधियों द्वारा की जाय।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट उप-विधियों में किसी बात के होते हुये भी, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य परिनियत निगम अथवा किसी शिक्षा संस्था को जल संस्थान भुगतान और अवधि के सम्बन्ध में ऐसे निबन्धनों पर तथा संभरण सम्बन्धी ऐसी शर्तों पर जल संभरण कर सकता है। जिन पर परस्पर सहमति हो।

67—कोई व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियों के सिवाय या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिनकी व्यवस्था उप-विधियों द्वारा की जाय, घरेलू प्रयोजनों के लिये सम्भरित जल का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये न तो करेगा और न करने देगा।

घरेलू प्रयोजनों के लिये जल संभरण का प्रयोग गैर घरेलू प्रयोजनों के लिये नहीं किया जायगा

68—(1) जल संस्थान किसी कारखाने (जैसा कि वह कारखाना अधिनियम, 1948 में परिभाषित है) अथवा किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान (जैसा कि वह उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में परिभाषित है) के स्वामी या अध्यासी के अनुरोध और उसके व्यय पर सभी आनुषंगिक कार्यों सहित दमकल नल की व्यवस्था और उसका अनुरक्षण ऐसे कारखाने, दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में आग लगने की दशा में जल संभरण के लिये करेगा और किसी ऐसी दशा में ऐसे स्वामी या अध्यासी से उपर्युक्त के सम्बन्ध में संभरित जल का परिव्यय वसूल करेगा।

दमकल नल की व्यवस्था

(2) जल संस्थान सभी ऐसे अन्य स्थानों पर भी, जहां वह आवश्यक समझे, आग लगने की; दशा में जल संभरण के लिये सभी आनुषंगिक कार्यों सहित दमकल नल की व्यवस्था और उनका अनुरक्षण करेगा और उपर्युक्त के सम्बन्ध में जल संभरित करेगा।

69—(1) जल संस्थान जल मीटर की व्यवस्था कर सकता है और उसे भू-गृहादि में जल संस्थान के जल कल से संयोजित सेवा पाइप में लगा सकता है।

जल मीटर की व्यवस्था करने की शक्ति

(2) मीटर लगाने का व्यय और उसके प्रयोग के लिये देय किराया उपभोक्ता द्वारा दिया जायेगा।

(3) मीटरों को व्यवस्था अथवा उनके संयोजनों का अन्तरण और उनका प्रयोग, अनुरक्षण तथा परीक्षण और उसे लगाने का व्यय तथा उनका किराया और तत्सम्बन्धी किसी प्रतिभूति, यदि कोई हो, का दिया जाना, तदर्थ बनाई गई उपविधियों द्वारा विनियमित होगा।

70—(1) जल संस्थान द्वारा लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री (जिसे आगे लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री कहा गया है) से भिन्न कोई व्यक्ति जल संयोजन के सम्बन्ध में ऐसा कोई निर्माण कार्य जो मामूली कार्य न हो, नहीं करेगा, और कोई व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा निर्माण कार्य करने की अनुज्ञा न देगा।

लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री

(2) जब उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई निर्माण कार्य किया जाय तो ऐसा निर्माण कार्य जल संस्थान की स्वेच्छा से विघटित कर दिया जा सकेगा।

71—(1) ऐसे भू-गृहादि का जिसे जल संस्थान द्वारा जल सम्भारित किया जाय, स्वामी या अध्यासी जल का न तो अपव्यय होने देगा और न अपव्यय करेगा, और न ही उससे सम्बद्ध किसी सेवा पाइप या किसी टॉटी अथवा अन्य फिटिंग या कार्य को बिना मरम्मत के रहने देगा या रखेगा जिससे कि जल का अपव्यय हो।

जल के अपव्यय पर प्रतिपक्ष

(2) जब कभी जल संस्थान को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी सेवा पाइप या टॉटी अथवा उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य में किसी दोष के परिणामस्वरूप जल का अपव्यय हो रहा है तो जल संस्थान लिखित नोटिस द्वारा उपभोक्ता से ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, उसकी मरम्मत कराने और दोष दूर कराने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी मरम्मत न कराई जाय तो जल संस्थान इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उपभोक्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी मरम्मत करा सकता है, और ऐसी मरम्मत का परिव्यय उपभोक्ता से वसूल किया जायेगा।

72—(1) जल संस्थान किसी भू-गृहादि के जल संभरण को काट सकता है—

जल संभरण काट देने की शक्ति

(क) यदि इस अधिनियम के अधीन वेय किसी कर, फीस, किराया, जल परिव्यय या किसी परिव्यय या अन्य धनराशि का भुगतान उपर्युक्त के सम्बन्ध में विल दिये जाने के पश्चात् पन्त्रह दिन की अवधि के भीतर न किया जाय; अथवा

(ख) यदि जल संस्थान से ऐसा लिखित नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् जिसके द्वारा उससे ऐसा करने से विरत रहने की अपेक्षा की गई हो, उपभोक्ता इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या विनियमों या उप-विधि के उपबन्धों का उल्लंघन करके जल का प्रयोग करना जारी रखता है अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा विये रहता है; अथवा

(ग) यदि उपभोक्ता जल मीटर या किसी संयोजक पाइप अथवा जोड़ चूड़ी को क्षति पहुंचाता है या ऐसी क्षति पहुंचने देता है; अथवा

(घ) यदि उपभोक्ता जल संस्थान के तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक को ऐसे भू-गृहादि में प्रवेश नहीं करने देता है जहां जल संभरण के सम्बन्ध में वह कोई निर्माण कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा कोई परीक्षा या जांच करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना चाहता हो, अथवा किसी ऐसे अधिकारी या सेवक को कोई निर्माण कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा ऐसी परीक्षा या जांच करने से रोकता है; अथवा

(ङ) यदि जल संस्थान के तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक द्वारा परीक्षा करने पर यह पाया जाय कि सेवा पाइप या कोई टॉटी अथवा उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य मरम्मत न किये जाने से इतना खराब है जिससे जल का अपव्यय या उसका अपदूषण होता है और उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक है; अथवा

(च) यदि उपभोक्ता इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों या उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी सेवा पाइप या किसी टॉटी या, उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य को स्थापित कराये, उसे हटाये, उसकी मरम्मत कराये या अन्य प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करे अथवा ऐसा करने की अनुज्ञा दे; अथवा

(छ) यदि सेवा पाइप या टॉटी अथवा अन्य फिटिंग या निर्माण कार्य में स्राव होने के कारण सार्वजनिक मार्ग को क्षति पहुंचती है और उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक हो।

1[(ज) यदि उपभोक्ता जल संस्थान को अपनी जल संयोजन में मीटर लगाने की अनुमति नहीं देता है या मीटर देने के लिये प्रतिभूति जमा करने से इंकार करता है।]

(2) इस धारा के अधीन या इसके अनुसरण में की गई किसी कार्यवाही से कोई व्यक्ति किसी ऐसी शास्ति या दायित्व से अवमुक्त न होगा जिसे उसने अन्यथा उपगत किया हो।

(3) जल संस्थान उपधारा (1) के अधीन काटे गये जल संभरण को ऐसे परिचयों का भुगतान करने और ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर जिनकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, फिर से जोड़ सकता है।

73—(1) कोई व्यक्ति—

(क) निगम या किसी जल संस्थान के प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझ कर न तो किसी निर्माण कार्य के लिये निशानबन्दी करने से रोकेंगे और न ऐसे कार्य के सम्बन्ध में निशानबन्दी के प्रयोजन से भूमि पर स्थापित किये गये किसी स्तम्भ, खम्भे या रोक को उखाड़ेगा या हटायेगा अथवा उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी निर्माण को विरूपित या नष्ट करेगा; अथवा

(ख) जानबूझ कर या उपेक्षापूर्वक नियम या किसी जल संस्थान के किसी ताले, टॉंटी, बाल्व, पाइप, मीटर या अन्य कार्य या साधित्र को न तो तोड़ेगा, न क्षति पहुंचायेगा, न मोड़ेगा, न खोलेगा, न बन्द करेगा, न हटायेगा और न ही अन्य प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(ग) निगम या किसी जल संस्थान के किसी जल कल से प्रवाहित जल या ऐसा जल संभरित करने वाले जल मार्ग के बहाव में विधि विरुद्धतया न तो बाधा डालेगा, न उससे जल बहायेगा, न निकालेगा न उसे मोड़ेगा और न ही उससे जल लेगा; अथवा

(घ) इस अध्याय के अधीन निगम या किसी जल संस्थान के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा उसके कर्तव्यों के पालन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तदधीन किसी जल-कल के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिये आवश्यक साधन देने से इन्कार करेगा और न उसे प्रस्तुत करने में जानबूझ कर उपेक्षा करेगा; अथवा

(ङ) किसी जल कल के भीतर उस पर, या उसके ऊपर न तो नहायेगा, न घुलाई करेगा, न उसमें किसी पशु को फेंकेगा और न उसमें किसी पशु को प्रवेश करायेगा अथवा किसी जल कल में न तो कोई कचरा, धूल व गलीज फेंकेगा, और न उसमें कोई कपड़ा ऊन या चमड़ा या किसी पशु की खाल की घुलाई या सफाई करेगा अथवा किसी हौदी या नाली या किसी वाष्प इंजन या ब्वायलर का पानी अथवा किसी अन्य दूषित जल को किसी जल कल की ओर न तो ले जाने देगा और न उसमें मिलाने देगा और न कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जिससे किसी भी जल का पानी दूषित हो जाय अथवा उसके दूषित होने की संभावना हो।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) की कोई बात किसी ऐसे उपभोक्ता के सम्बन्ध में जो अपने भू-गृहादि को जल सम्भरित करने वाले सेवा पाइप पर लगाई गई रोक टॉंटी को बन्द करता हो, तब लागू न होगी यदि उसने किसी ऐसे उपभोक्ता की, जिसके जल संभरण पर टॉंटी बन्द करने का प्रभाव पड़ता हो, सहमति प्राप्त कर ली हो।

अध्याय 8

सीवर व्यवस्था

74—किसी भू-गृहादि का स्वामी या प्रध्यासी, भू-गृहादि के सीवेज को जल संस्थान के सीवर में गिराने का हकदार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा करने के पूर्व, वह,—

(क) जल संस्थान की लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ले और उपविधियों के अनुसार संयोजन फीस का भुगतान कर दे; और

(ख) ऐसी अन्य शर्तों का जिनकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, अनुपालन करे।

75—यदि जल संस्थान की राय में किसी भू-गृहादि में सीवेज के प्रभावकारी निस्तारण के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं और जल संस्थान का सीवर भू-गृहादि के किसी भाग से पचास मीटर की दूरी पर स्थित है तो जल संस्थान लिखित नोटिस द्वारा उक्त भू-गृहादि के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उपविधियों में की गई व्यवस्था के अनुसार सीवर संयोजन करा लें।

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

सीवर से संयोजित करने का स्वामी या अध्यासी का अधिकार

स्वामी से सीवर संयोजक लेने की अपेक्षा करने की शक्ति

76-कोई व्यक्ति, जल संस्थान की अनुज्ञा के बिना, जल संस्थान के किसी सीवर से कोई संयोजन या संचार न तो करेगा और न करायेगा।

77-(1) कोई व्यक्ति जल संस्थान की अनुज्ञा के बिना जल संस्थान के किसी सीवर के ऊपर कोई असार्वजनिक मार्ग, भवन या अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा।

(2) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 327 और 333 के उपबन्ध, उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानों मुख्य नगर अधिकारी के प्रति निर्देश के लिये जल संस्थान के ऐसे अधिकारों के, जिसे वह सामान्य या विशेष प्रदेश द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट करें, प्रति निर्देश प्रतिस्थापित हों।

78-जन संस्थान किसी सीवर या मलकूप के लिये, चाहे वह जल संस्थान में निहित हो या नहीं, संवातन के प्रयोजनार्थ, कोई नल या पाइप, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, किसी भू-गृहादि पर खड़ा कर सकता है अथवा किसी भवन के बाहर या किसी पेड़ पर लगा सकता है।

79-(1) यदि जल संस्थान को यह प्रतीत हो कि यह विश्वास करने का युक्ति-युक्त आधार है कि कोई सार्वजनिक या सीवर मलकूप ऐसी दशा में है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है या जो अपदूषण है अथवा जल संस्थान के सीवर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचार करने वाला कोई असार्वजनिक सीवर इतना दोषपूर्ण है जिससे कि उसमें अब भूमि-जल या कंकड़ या अन्य पदार्थ आते हों तो वह उसकी दशा के बारे में परीक्षा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी जांच कर सकता है, जो दबावयुक्त जल द्वारा की जाने वाली जांच न हो, और यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो भूमि को खोद सकता है।

(2) (क) यदि परीक्षा करने पर सीवर या मलकूप उचित स्थिति में पाया जाय तो जल संस्थान, यथाशक्यशीघ्र, भूमि को, जो उसके द्वारा खोदी गई हो, पूर्व स्थिति में लायेगा और अपने द्वारा हुई क्षति के लिये प्रतिकर का अवधारण और उसका भुगतान करेगा।

(ख) यदि इसके विपरीत, इस प्रकार परीक्षित सीवर या मलकूप दोषपूर्ण पाया जाय तो, जल संस्थान शीघ्र ही उसका काम करना रोक सकता है या उसे जल संस्थान के सीवर से विसंयोजित कर सकता है या स्वामी अथवा अध्यासी से ऐसी प्रतिकारी कार्यवाही जैसी कि जल संस्थान द्वारा निर्देशित की जाय ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, करने की अपेक्षा कर सकता है और किसी ऐसी दशा में जल संस्थान अपने द्वारा किया गया व्यय, यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

(3) यदि इस प्रकार अवधारित धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जल संस्थान, विवाद को निगम को निर्दिष्ट करेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

80-कोई व्यक्ति,—

(क) इस अध्याय के अधीन जल निगम या जल संस्थान के प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझकर न तो किसी निर्माण कार्य के लिये निशानबन्दी करने से रोकेगा और न ऐसे कार्य के सम्बन्ध में निशानबन्दी के प्रयोजन से भूमि पर स्थापित किये गये किसी स्तम्भ, खम्बे या रोक को उखाड़ेगी या हटायेगा अथवा उस प्रयोजन के लिये किये गये किसी निर्माण को विरूपित या नष्ट करेगा; अथवा

(ख) जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी ताले बाल्ब, पाइप, या अन्य कार्य या साधित्र को, जो निगम या जल संस्थान के हों तथा इस अध्याय के अधीन उसके कृत्यों से सम्बद्ध हों, न तो तोड़ेगा, न क्षति पहुंचायेगा, न मोड़ेगा, न खोलेगा, न बन्द करेगा, न हटायेगा और न ही अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

सीवर से संयोजित

सीवर के ऊपर भवन निर्माण करने का प्रतिषेध

सीवर या मल कूप के संवातन के लिये नाल (शाफ्ट) आदि लगाने की शक्ति

दोषयुक्त प्रतीत होने वाले सीवर आदि की परीक्षा तथा जांच करने की शक्ति

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

(ग) नियम या जल संस्थान के किसी ऐसे सीवेज सम्बन्धी कार्य के बहाव में विधि विरुद्धतया न तो बाधा डालेगा, न उससे पानी बहायेगा, न अन्यत्र ले जायेगा, न उसे मोड़ेगा और न ही उससे कोई गन्दगी निकालेगा; अथवा

(घ) इस अध्याय के अधीन निगम या जल संस्थान के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा उसके कर्तव्यों के पालन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तद्धीन किसी सीवेज सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिये आवश्यक साधनों को प्रस्तुत करने से इन्कार करेगा और न जानबूझकर उपेक्षा करेगा।

81—(1) निगम या जल संस्थान का उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी सहायकों या कर्मचारों के साथ या उनके बिना किसी भू-गृहादि में या उस पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकता है :—

प्रवेश सर्वेक्षण आदि करने की शक्ति

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन या जांच करने;

(ख) सतह मालूम करने;

(ग) मलभूमि खोदने या बेधने;

(घ) सीमाओं तथा निर्माण कार्य को अभिप्रेत रेखाओं को नियत करने;

(ङ) चिन्ह बनाकर या खाइयां काटकर ऐसी सतहों, सीमाओं और रेखाओं को चिह्नान्कित करने; अथवा

(च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम या उपविधियों के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि,—

(1) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भवन में इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जायेगा ;

(2) किसी निवास गृह या स्थान में उसके अध्यासी व्यक्ति को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय की कम से कम चौबीस घंटे की सूचना दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायेगा;

(3) निवास गृह के किसी भी भाग में रहने वाली महिलाओं को वहां से हटने के लिये समुचित अवसर तथा सुविधा दी जायेगी ; और

(4) जिस भू-गृहादि में प्रवेश किया जाय, उसके अध्यासी व्यक्तियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का, जहां तक संभव हो, यथोचित ध्यान रखा जायेगा।

(2) जब कभी निगम या जल संस्थान की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त उपधारा के अनुसरण में किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करे तो वह इस प्रकार प्रवेश करने के समय उपर्युक्त किसी कार्य से होने वाली क्षति के लिए, यदि कोई हो, भुगतान करेगा या भुगतान निविदित करेगा और यदि प्रतिकर की धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में विवाद हो, तो ऐसा विवाद निगम की दशा में, निगम के अध्यक्ष को और जल संस्थान की दशा में जल संस्थान के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके किसी भू-गृहादि में या उस पर प्रवेश करने का हकदार हो तो वह उसी प्रकार किसी संलग्न भू-गृहादि में या उस पर भी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी कार्य के लिये या वहां कोई मिट्टी, प्रस्तर विशेष या अन्य पदार्थ इकट्ठा करने अथवा ऐसे कार्य पर पहुंचने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये जो उसके निष्पादन से सम्बद्ध हो, प्रवेश कर सकता है।

(4) किसी अधिकारी के लिये जो किसी स्थान में प्रवेश करने के सम्बन्ध में निगम या जल संस्थान द्वारा तदर्थ प्राधिकृत हो, कोई दरवाजा, फाटक या अन्य अवरोध खोलना या खुलवाना वैध होगा; यदि—

(क) वह समझता हो कि इस प्रकार प्रवेश करने के लिये उसका खोला जाना आवश्यक है; तथा

(ख) स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो या उपस्थित होते हुए भी ऐसा दरवाजा या फाटक खोलने या ऐसा अवरोध हटाने से इन्कार करता हो।

(5) इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करते हुये यथासंभव न्यूनतम क्षति पहुंचायेगा और ऐसी क्षति के लिये प्रतिकर यथास्थिति, निगम या जल संस्थान द्वारा उक्त भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी को या दोनों को देय होगा और यदि प्रतिकर की धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उक्त विवाद निगम की दशा में निगम के अध्यक्ष को और जल संस्थान की दशा में जल संस्थान के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा।

82—(1) निगम या जन संस्थान द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी टंकी, पोखरे या कुयों की सफाई या विसंक्रमण, उसके स्वामी या अध्यासी को, यदि कोई हो, नोटिस देने के पश्चात् उस समय करा सकता है जब उसे यह प्रतीत हो कि ऐसी सफाई या विसंक्रमण किसी भी भयानक रोग को फैलाने से बचायेगा या रोकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सफाई या विसंक्रमण कराने का व्यय उक्त टंकी, पोखरे या कुयों के स्वामी या अध्यासी से वसूल किया जा सकेगा।

टंकी, पोखरों
तथा कुओं की
विसंक्रमित करने
की शक्ति

अध्याय 9 शास्ति तथा प्रक्रिया

83—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि अपराध किये जाने के पश्चात् अगले छः महीने के भीतर, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान द्वारा उसका परिवाद न किया जाय।

अपराधों का
संज्ञान

84—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा इस अधिनियम के तदधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस, आदेश या अधिसूचना का अनुपालन नहीं करता है, तो उसे जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और अग्रेतर जुर्माने का जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जब प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहे पचास रुपये तक हो सकता है दण्ड किया जायेगा।

सामान्य शास्ति

85—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा :

कम्पनियों द्वारा
अपराध

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किए जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक उपाय किए।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुये भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मोनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना कम्पनी के निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की उपेक्षा पर आरोप्य है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने के उत्तरदायी होंगे।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "डाइरेक्टर" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

86—(1) यदि कोई व्यक्ति जिसने निगम या जल संस्थान के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया हो अथवा जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध करने का दोष लगाया गया हो अथवा जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को कोई ऐसा अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह हो, ऐसे अधिकारी द्वारा पूछे जाने अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या न बताये अथवा ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है, तो ऐसा अधिकारी उसका नाम या पता अथवा दोनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 की उपधारा (2) और (3) और धारा 43, 48, 56, 57, 58 और 59 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से उसकी धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

87—(1) यथास्थिति, प्रबन्ध निदेशक, या महाप्रबन्धक अथवा निगम या किसी जल संस्थान द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष प्रवेश द्वारा प्राधिकृत उसका कोई अन्य अधिकारी या तो कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन ऐसे निबन्धनों पर जिसके अन्तर्गत शमन फीस का भुगतान किया जाना भी है, जिन्हें वह उचित समझे, कर सकता है।

(2) जहां किसी अपराध का शमन किया जा चुका हो, तो अपराधी, पति अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार शमनित अपराधी के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

88—ऐसे सभी पुलिस अधिकारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का जिनके स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया जाये या करने का प्रयास किया जाये, यह कर्तव्य होगा कि वे जल संस्थान को या जल संस्थान के तदर्थ प्राधिकृत अधिकारियों को यथास्थिति, ऐसे अपराध के किये जाने की या ऐसा अपराध करने का प्रयास किये जाने की तुरन्त सूचना दे और ऐसे सभी अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन अपने प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता दे।

अध्याय 10

वाह्य नियंत्रण

89—(1) अपने कर्तव्यों का पालन करने में निगम नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा पथ प्रदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

90—(1) निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जायेगा, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जायेगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा हाथ में लिये जाने की संभावना हो, और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसे यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

अपना नाम तथा पता न बताने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति

अपराधों का शमन

पुलिस अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के कर्तव्य

नीति विषयक प्रश्नों पर निगम को निर्देश

निगम द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, आंकड़े, विवरणियां तथा अन्य सूचना

(2) निगम, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और निगम के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य-कलापों अथवा निगम के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्यौरे, जिसकी राज्य सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

91—(1) कर्तव्यों का पालन करने में जल संस्थान नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों, द्वारा पथ-प्रदर्शित होगा जो उसे निगम द्वारा दिये जायें।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके संबंध में निगम उपधारा (1) के अधीन निवेश दे सकता है तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

92—(1) जल संस्थान, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा निगम निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जायगा, तैयार करेगा और उसे निगम को प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी यदि कोई हों, लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में जल संस्थान द्वारा हाथ में लिये जाने की सम्भावना हो।

(2) जल संस्थान, निगम को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा निगम निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और जल संस्थान के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य-कलापों अथवा जल संस्थान के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्यौरे जिसकी निगम समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

93—(1) सभी स्थानीय निकाय, निगम या किसी जल संस्थान को ऐसी मदद और ऐसी सहायता देंगे तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे और उसके निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए (और यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए), ऐसे अभिलेख, मानचित्र, नक्शे और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करेंगे जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अपेक्षित हों।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक स्थानीय निकाय मांग किये जाने पर भू-गृहादि के वार्षिक मूल्य का निर्धारण और कर, फीस तथा परिव्यय उद्गृहीत करने के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची तथा धन्य संगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके उद्धरण-मूल्य पर उपलब्ध करायेगी।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिफल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी श्रम्य ऐसी विधि में जिसके प्रधीन कोई स्थानीय निकाय गठित किया जाता है, किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय को ऐसा निदेश दे सकती है जो उसकी राय में निगम या किसी जल संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हो और तदुपरान्त उस स्थानीय निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का अनुपालन करे।

94—किसी ऐसे मामले में जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो, निगम या जल संस्थान किसी ऐसे व्यक्ति को युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान कर सकता है, जिसे निगम या जल संस्थान में इस अधिनियम द्वारा या उसके प्रधीन निहित किसी शक्ति का प्रयोग करने के कारण क्षति पहुँची हो।

नीति विषयक प्रश्नों पर जल संस्थान को निदेश

जल संस्थान की रिपोर्ट, आंकड़े, विवरणियां तथा अन्य सूचना

सहायता देने का स्थानीय निकायों का कर्तव्य

प्रतिकर का भुगतान करने के लिए सामान्य शक्ति

95—कोई बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, निगम या जल संस्थान अथवा निगम या जल संस्थान के अध्यक्ष या अन्य सदस्य, या राज्य सरकार या निगम या जल संस्थान के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या उपविधि के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए तात्पर्यित अथवा आशायित हो।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

अध्याय 12

नियम, विनियम तथा उपविधियां

96—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेषतः, और पूर्ववर्ती शक्ति को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन लेखा परीक्षक की शक्तियां;

(ख) धारा 51 के अधीन अधिभार के सम्बन्ध में प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत उसके सम्बन्ध में अपील की व्यवस्था, यदि कोई हो, भी है;

(ग) प्रक्रिया जिसका धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण द्वारा अनुसरण किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत कर निर्धारण सूचियों का अधिप्रमाणीकरण तथा उनकी अभिरक्षा, ऐसी सूचियों का पुनरीक्षण और कालावधि, ऐसी सूचियों का संशोधन और परिवर्तन और कर निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद को दशा में अपील भी है;

(घ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जो विहित किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम कुल तीस दिन को अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जिन्हें विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

97—(1) निगम या जल संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निगम या जल संस्थान, के कार्य-कलापों के प्रशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गये नियमों से असंगत न हों।

विनियम

(2) विशेषतः, और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) निगम या जल संस्थान की बैठकें बुलाना और करना, समय और स्थान जहाँ पर ऐसी बैठकें की जायें, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और बैठकों में गणपूर्ति के लिए व्यक्तियों की आवश्यक संख्या;

(ख) निगम या जल संस्थान के कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य ;

(ग) संविदा पर सेवायोजित कर्मचारियों से भिन्न निगम या जल संस्थान के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(घ) निगम या जल संस्थान की सम्पत्ति का प्रबन्ध;

(ङ) निगम या जल संस्थान की ओर से संविदाओं और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्रों का निष्पादन;

(च) वह सीमा जिस तक प्रबन्ध निदेशक या महा प्रबन्धक किसी वित्तीय वर्ष आवर्तक या अनावर्तक व्यय, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विवरण पत्र: सम्मिलित किये गये बिना, कर सकेंगे;

(छ) निगम या जल संस्थान द्वारा लेखों का रखा जाना और पक्का चिट्ठा तैयार किया जाना;

(ज) इस अधिनियम के अधीन निगम या जल संस्थान के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए प्रक्रिया;

(झ) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन निगम या जल संस्थान द्वारा कोई विनियम न बनाये जायं, कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा मनाया जा सकता हो राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये किन्हीं विनियमों में निगम या जल संस्थान उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकता है या उन्हें विखंडित कर सकता है।

98-निगम या जल संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के उप-विधियां प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, सर्वसाधारण को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से संगत उपविधियां बना सकता है, और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :-

(क) घरेलू तथा अन्य प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण के निबन्धन एवं शर्तें;

(ख) मीटरों का लगाया जाना और उनके संयोजन को अन्तर्गत करना और उनका प्रयोग, अनुरक्षण, जांच करना, संयोजन काटना और उसका पुनः संयोजन, उसके सम्बन्ध में फीस, किराया तथा अन्य परिव्यय जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा प्रतिभूति देना भी और उससे सम्बद्ध विषय;

(ग) निगम या जल संस्थान के सीवर से संयोजन के लिए दी जाने वाली फीस और ऐसे संयोजन के लिए अन्य निबन्धन एवं शर्तें ;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिए उपविधियों में व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

अध्याय 13

संक्रमणकालीन उपबन्ध तथा निरसन

99-(1) सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए धारा 18 के प्रधीन कोई जल संस्थान गठित किया गया हो, ऐसे गठन के दिनांक के पूर्व जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है, आरोपित जल कर अथवा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, तथा उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसे कर अथवा जल सम्भरण अथवा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के

संक्रमणकालीन
उपलब्ध

सम्बन्ध में कोई अधिसूचना, नोटिस, आदेश, निवेश, नियम, उपविधि अथवा प्रपत्र, जिसके अन्तर्गत कोई कर निर्धारण अथवा छूट या संयोजन, संयोजन काटने या पुनः संयोजन का आदेश जो किया गया हो या स्वीकृत हो अथवा किसी भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी पर आरोपित शास्ति अथवा किसी नल मिस्त्री को जारी किया गया कोई लाइसेन्स, अथवा तत्सम्बन्धी कोई आदेश भी है, जो स्थानीय क्षेत्र की अधिकारितायुक्त स्थानीय निकाय पर प्रयोज्य विधि के उपबन्धों के अधीन हो तथा उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन सम्बद्ध जल संस्थान ऐसे कर के आरोपण अथवा निर्धारण के निमित्त अथवा ऐसे लाइसेन्स स्वीकृत करने अथवा संयोजन दिये जाने के निमित्त अथवा ऐसी सेवाओं की व्यवस्था के निमित्त कोई अन्य व्यवस्था न करें अथवा आदेश न दें अथवा अन्य कार्यवाही या कार्य न करें, तथा ऐसी अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम, उपविधि अथवा लाइसेन्स के विषय में सम्बन्धित स्थानीय निकाय के प्रति निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों वह सम्बद्ध जल संस्थान के प्रति निर्देश है, तथा विशेषतः ऐसे कर एवं फीस की आय सम्बन्धित स्थानीय निकाय की निधि में जाने के बजाय सम्बद्ध जल संस्थान की निधि में जायेगी ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ और 1[30 सितम्बर, 1978 के बीच की अवधि में कोई नियम, विनियम या उपविधि धारों 96, धारा 97 या धारा 98 के अधीन, यथास्थिति 20 मई, 1975 से पूर्व नहीं पड़ने वाले किसी दिनांक से पूर्वगामी प्रभाव से बनाए जा सकते हैं ।

2[* * *]

100—धारा 99 में की गई व्यवस्था के सिवाय, उस दिनांक को और से जब कोई जल संस्थान गठित किया जाय, जिसमें—

निरसन तथा
संशोधन

(क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित नगर हो, उसके सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम की धारायें 114 और 115 और अध्याय 10, 11, 19, 23 और 25;

उ०प्र० अधिनियम
संख्या 2, 1959

(ख) यूनाइटेड प्राविसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथापरिभाषित कोई म्युनिसिपैलिटी हो, उसके सम्बन्ध में, उक्त ऐक्ट की धारायें 7 और 8 और अध्याय 5, 7 और 9;

यू०पी० ऐक्ट, संख्या
2, 1916

(ग) संयुक्त प्रान्त टाउन एरियाज अधिनियम, 1914 में यथापरिभाषित कोई टाउन एरिया हो, उसके सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम की धारायें 3, 14, और 25 और अध्याय 5 और 6;

संयुक्त प्रान्त
अधिनियम संख्या 2,
1914

(घ) यूनाइटेड प्राविसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथापरिभाषित कोई मोटीफाइड एरिया हो, उसके सम्बन्ध में, उक्त मोटीफाइड एरिया के सम्बन्ध में यथा-परिष्कृत तथा प्रसारित खण्ड (ख) में निर्दिष्ट उक्त ऐक्ट के उपबन्ध;

यू०पी० ऐक्ट संख्या
2, 1916

(ङ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में यथा- परिभाषित, यथास्थिति, कोई खण्ड या किसी जिले का ग्रामीण क्षेत्र हो, उसके सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम के अध्याय 3, 7, 9 और 14;

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
33, 1961

(च) यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में यथापरिभाषित गांव सभा की अधिकारिता के अन्तर्गत कोई क्षेत्र को, उसके सम्बन्ध में, — उक्त ऐक्ट के अध्याय—4 और 5 के उपबन्ध ;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 1978 की धारा 9(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 1978 की धारा 9(ख) द्वारा निकाला गया ।

उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम द्वारा जल संस्थान को अभ्यर्पित शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य जिसके अन्तर्गत उक्त कर्तव्यों तथा कृत्यों के प्रयोजनार्थ किसी सम्पत्ति को कब्जे में रखने की शक्ति भी है, यथास्थिति, महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, नोटीफाइड एरिया कमेटी, क्षेत्र समिति, जिला परिषद् या गांव सभा की शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों के बाहर थे।

¹[100-क-(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, वहां वह, इस अधिनियम के अधीन गठित किसी जल संस्थान का विघटन अधिसूचना द्वारा, ऐसे दिनांक से जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय कर सकती है।

जल संस्थान का
विघटन एवं
उसके परिणाम

(2) किसी जल संस्थान की उपधारा (1) के अधीन विघटन किये जाने के दिनांक को और से -

(क) जल संस्थान में निहित सभी संपत्तियां और आस्तियां और उसके द्वारा वसूली योग्य समस्त देय ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा जिसने ऐसे जल संस्थान के गठन के ठीक पूर्व स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग किया हो, जिसे आगे स्थानीय निकाय कहा गया है, में निहित होंगे और उसके द्वारा वसूल किये जायेंगे ;

(ख) जल संस्थान के समस्त अधिकार, दायित्व और आभार, चाहे वे जल संस्थान से संबंधित किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, स्थानीय निकाय के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे ;

(ग) ऐसे सभी वाद और विधिक कार्यवाहियां, जो किसी जल संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गई हों या जो ऐसे निहित और अन्तरण न होने की दशा में संस्थित की जाती, स्थानीय निकाय द्वारा या उसके विरुद्ध यथास्थित जारी रखी जा सकती हैं या संस्थित की जा सकती हैं ;

(घ) अधिनियम की धारा 33 में उल्लिखित ऐसे सभी वर्तमान जल और सीवर व्यवस्था सेवायें, अधिकार, दायित्व और आभार, जो किसी जल संस्थान में निहित हों या उसके हों, स्थानीय निकाय में निहित होंगे और उसको अन्तरित हो जाएंगे और धारा 33 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित स्थानीय निकायों को इस प्रकार अन्तरित होने या उसमें निहित होने पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे जल संस्थान को अन्तरित या निहित होने पर लागू हुए थे ;

(ङ) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम की धारा 27 के अधीन नियुक्त या अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) के अधीन जल संस्थान की सेवा में आमेलित प्रत्येक कर्मचारी स्थानीय निकाय का कर्मचारी हो जाएगा और धारा 38 के उपबंध स्थानीय निकाय के सेवा में, उसके अन्तरण के सम्बन्ध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे स्थानीय निकाय से जल संस्थान में अन्तरण के संबंध में लागू हुए थे ;

(च) ऐसे कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश पालिका जल कल और जल संस्थान अभियन्त्रण (केंद्रीय) सेवा नियमावली, 1986 द्वारा नियंत्रित होते हों या जल संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे हों अपनी मूल सेवा के सदस्य बने रहेंगे और उक्त सेवा में प्रत्यावर्तित होंगे;

(छ) धारा 100 में निर्दिष्ट अधिनियम उसी प्रकार प्रभावी बनी रहेंगे जिस प्रकार वे जल संस्थान के गठन के पूर्व लागू थीं।]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1998 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

101—(1) धारा 100 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्धों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक स्थानीय निकाय की जहां जल सम्भरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाएं या दोनों ही हों, एक पृथक् विधि होगी जिसे “जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निधि” कहा जायेगा, जो स्थानीय निधि समझी जायेगी तथा जिसमें ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा ऐसी सेवाओं की प्रोन्नति, संचालन, अनुरक्षण तथा उनके प्रबन्ध के लिए प्राप्त सभी धनराशियों को तथा ऐसे समस्त राजस्व को भी जो उपर्युक्त सेवायें किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हों, जमा किया जायेगा।

जल संभरण तथा
सीवर व्यवस्था
सम्बन्धी निधि

(2) उपर्युक्त निधि में जमा की गयी धनराशि का उपभोग अनन्य रूप से जल सम्भरण अथवा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के प्रयोजनों के लिए अथवा दोनों के लिए ही किया जायेगा।

102—(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, विशेषतः धारा 100 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में, आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम अथवा उक्त अधिनियमितियां उस अवधि के दौरान जो प्रदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में हो सकते हैं, तथा जिनसे मूलार्थ पर प्रभाव न पड़ता हो, और जिन्हें, वह आवश्यक और समीचीन समझें, प्रभावी होंगे :

कठिनाइयों को दूर
करना

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के उपरान्त न दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

103—(1) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय) अध्यादेश, 1975 एतद्वारा निरसित किया जाता है;

निरसन तथा
अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी। मानो यह अधिनियम 20 मई, 1975 से प्रवृत्त हो गया था।

उद्देश्य और कारण

नागर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जनता के स्वास्थ्य के लिए पीने के पानी का सम्भरण और सीवेज का समुचित निस्तारण बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण जनता के नागर क्षेत्रों की ओर क्रमिक निवेशन के परिणामस्वरूप नागर क्षेत्रों की स्थिति बहुत विकट हो गई है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार नागर तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों को ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती रही है। किन्तु वर्तमान स्थानीय निकाय जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था की सुविधाओं का अपेक्षित सीमा तक न तो प्रसार और न ही उसका विस्तार कर सके हैं।

2—राज्य में जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था सेवाओं के विकास तथा विनियमन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक और राज्य सरकार के बीच काफी समय से विचार-विमर्श भी चल रहा है। इन परिस्थितियों में तथा राज्य में जल वितरण एवं सीवर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि राज्य स्तर पर एक निगमित निकाय की स्थापना तथा आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में जल संस्थाओं की स्थापना की जाय ।

3—तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।